

j k'Vñ [kk] l j{kk
vfekfu; e] 2013 ds dk, kñ; u dh
r\$ kj h dh ys[kki j h{kk
ekpZ2015 dk l ekIr o"kz
½ni HñDrk ekey\$ [kk] vñ l kñ fud forj.k ea ky; ½

Hkj r ds fu; ad , oaegky\$ kki j h{kd
dk i froru
l ak l j dkj ¼ fil foy ½
2015 dh i froru l a 54

fo"k l ph

fo"k		i "Bka
i kDdFku		iii
dk kZlkj h l kjkak , oavuqkla k a		v
vè; k &1	i Lrkouk	
	1.1	पृष्ठभूमि
	1.2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं अथवा प्रावधान
	1.3	एन.एफ.एस.ए. की तुलना में टी.डी.पी.एस. की विशेषताओं की तुलना
	1.4	एन.एफ.एस.ए. में बदलने के निहितार्थ
	1.5	एन.एफ.एस.ए. को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकताएं/ तैयारियां
	1.6	पी.डी.एस (नियंत्रण) आदेश
	1.7	एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु समयसीमा
vè; k &2	ydkki jhlkk nf"Vdksk , oadk Zzkyh	
	2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य
	2.2	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा नमूने
	2.3	लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत
	2.4	लेखापरीक्षा पद्धति तथा मंत्रालय का उत्तर
	2.5	आभार प्रकट
vè; k &3	yHkkEk kadh igpku djuk vkg jk ku dkMzt jh djuk	
	3.1	जनसंख्या की राज्य—वार कवरेज
	3.2	पहचान की स्थिति
	3.3	लागू न करने वाले राज्यों/ सं.शा.क्षे. द्वारा एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलम्ब
	3.4	लाभार्थियों की पहचान हेतु समय का अनियमित विस्तार
	3.5	चयनित राज्यों में कवरेज

	3.6	पहचाने गए परिवारों को राशन कार्ड जारी करना	22
	3.7	मातृत्व लाभों तथा अनुपूरक पोषण से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन	24
		निष्कर्ष	25
vè; k &4	jl n eɑr\$ kj l% [k] kUk dk vkcʌu] <gkbZ, oaHk Mkj . k		
	4.1	खाद्यान्न का आवंटन	27
	4.2	खाद्यान्न का मूवमेंट	27
	4.3	खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता	29
		निष्कर्ष	32
vè; k &5	yf{kr ykl l forj.k i zkyh ea l ekkj		
	5.1	प्रस्तावना	34
	5.2	खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी	34
	5.3	टी.पी.डी.एस. का आरंभ से अंत तक कम्प्यूटरीकरण	36
		निष्कर्ष	40
vè; k &6	f' kdk r fuokj.k ræ , oae kMVGx		
	6.1	प्रस्तावना	41
	6.2	राज्य वार स्थिति	41
	6.3	सतर्कता समितियां	44
	6.4	राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग	45
	6.5	मंत्रालय की भूमिका	46
		निष्कर्ष	47
vukak			51-54
' kñkoyh			55

i kDdFku

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ एक तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीब मानी जाती है। भारत सरकार पिछली सात दशकों से एक या अन्य नाम में सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण कर रही है। सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को सर्ते दामों पर गुणवत्ता के भोजन को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने के उद्देश्य के साथ संसद द्वारा 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) को अधिनियमित किया गया था। भारत को खाद्य सुरक्षित बनाने के मिशन को अब कानूनी जनादेश देते हुए हकदारी—आधारित से अधिकार—आधारित दृष्टिकोण दिया गया है।

चूंकि एन.एफ.एस.ए. ने लक्षित लोक संवितरण प्रणाली के मौजूदा प्लेटफार्म का उपयोग परिकल्पित किया था, उसने लाभार्थियों की पहचान तथा वर्ष की समय सीमा में नए राशन कार्डों को जारी करने, टी.पी.डी.एस. परिचालनों के कम्प्यूटीकरण, उचित एवं वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करने एवं राज्यों द्वारा उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न के द्वार पर वितरण करना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अखिल भारतीय स्तर पर केवल 11 राज्यों ने वर्ष के भीतर कार्यान्वयन किया तथा 18 राज्यों ने अक्तूबर 2015 तक एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन सूचित किया था।

हमने उपरोक्त महत्वपूर्ण घटकों पर नौ चयनित राज्यों / सं.शा.क्षे. में तैयारी के आकलन के लिए एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की थी। लाभार्थियों की पहचान ऐसा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसे एक वर्ष में प्राप्त किया जाना था, परंतु अधिकतर शीघ्र कार्यान्वयकों (हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं महाराष्ट्र) ने पुरानी प्रणाली की पुनरावृत्ति की थी तथा इसे एन.एफ.एस.ए. अनुपालनकारी के रूप में पुनः ब्रांड किया गया था। लाभार्थियों की पहचान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय सीमाओं में बार-बार वृद्धि की गई थी जिसके लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि इसके अधिनियमन के दो वर्षों के पश्चात् भी कई राज्यों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए की गयी तैयारी में कमी थी।

चूंकि एन.एफ.एस.ए. के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण सरकार का महत्वपूर्ण सामा। जिक सुरक्षा कार्यक्रम है, संरचनात्मक परिवर्तनों तथा खाद्यान्नों के कुशल वितरण करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है।

dk, Zlkj h l kj lkak

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 47 प्रदान करता है कि राज्य को अपने लोगों का जीवन स्तर एवं पोषण का स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में मानना चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) जो कि 5 जुलाई, 2013 को प्रभावी हुआ था उसका उद्देश्य अत्यधिक रियायती दरों पर 81.34 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान करना था। एन.एफ.एस.ए. का एक प्रमुख निहितार्थ था कि पहचाने गए लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। एन.एफ.एस.ए. लोक संवितरण प्रणाली में भी परिवर्तन लाना चाहता था जो कि लक्ष्यीकरण में त्रुटियां, अपर्याप्त संवितरण तंत्र जिसके कारण उच्च रिसाव तथा उसके कार्यों में पारदर्शिता की कमी जैसी विभिन्न कमियों से प्रभावित थी।

अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना 2011 के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवृत्त किया जाना था तथा राज्य/सं.शा.क्षे. (संघ शासित क्षेत्र) को उपरोक्त कवरेज के लिए निर्दिष्ट रूप से खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे। यदि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवंटन पिछले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल खरीद से कम था तो राज्य के वार्षिक आवंटन को संरक्षित किया जाना था। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन का अर्थ है प्रति वर्ष ₹26,780 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक सहायता। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन से पूर्व, तैयारी के उपायों के रूप में राज्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने थे।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. की तैयारी का आकलन करने का निर्णय लिया था। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 एवं 2 एन.एफ.एस.ए. तथा हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करता है। अध्याय 3, 4, 5 और 6 क्रमशः लाभार्थियों की पहचान तथा राशन कार्डों को जारी करने, रसद में तैयारी, लक्षित लोक संवितरण प्रणाली (ल.लो.सं.प्र.) में सुधारों तथा शिकायत निवारण तंत्र एवं मॉनीटरिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ylkkaEkl adh i gplku , oajk' ku dkMzt kjh fd; k t luk

- ग्यारह राज्यों/सं.शा.क्षे. ने 365 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर योग्य परिवारों की पहचान सूचित की थी, जबकि सात राज्यों/सं.शा.क्षे. ने जून-अक्टूबर 2015 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान कार्यान्वयन राज्यों/सं.शा.क्षे. को 18 तक का ऑकड़ा बताते हुए सूचित किया था। सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में केवल 51 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को पहचाना गया था और 49 प्रतिशत लाभार्थियों को अभी तक पहचाना जाना शेष था।

(पैरा 3.2)

2015 dh ifrosu I a 54

- गैर कार्यान्वयन राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलंब के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत आंकड़ों को अंतिम रूप न दिया जाना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त निधियां एवं श्रमशक्ति थे। मंत्रालय ने कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में तीन बार वृद्धि की थी, सितम्बर 2015 को अंतिम बार ऐसा किया गया था, जबकि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
(पैरा 3.3, 3.4)
- अधिकतर कार्यान्वयन राज्यों ने एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता परिवारों के लाभार्थियों को पहचाना नहीं था परंतु लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के पुराने डाटाबेस का उपयोग किया था।
(पैरा 3.5)
- हिमाचल प्रदेश में 6.9 लाख पुराने राशन कार्डों पर प्राथमिक परिवार और अं.अ.यो. परिवारों के रूप में मुहर लगाई गई थी तथा उन्हें एन.एफ.एस.ए. अनुपालनकारी के रूप में पुनः जारी किया गया था। कर्नाटक में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र विवरणों की पहचान के दौरान मौजूदा प्रणाली में 8.90 लाख जाली एवं अयोग्य राशन कार्ड पाए गए थे (जून 2015)। जबकि, इन जाली या अयोग्य राशन कार्डों को रद्द करने के बजाए, राज्य सरकार उन्हें खाद्यान्न जारी करती रही। महाराष्ट्र में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा राशन कार्डों पर मुहर लगाकर राशन कार्डों को दोबारा सत्यापित किया गया था।
(पैरा 3.6)

jI n ear\\$ kjW [kk| kUkak dk vlo\vu] <ylbZ, oaHkj . k

- वर्ष 2012 में निर्णय लिए जाने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रवृत्ति योजना को तैयार नहीं किया गया था।
(पैरा 4.2.1)
- नमूना परीक्षित राज्यों में, तीन माह की आवश्यकता को रखने के लिए खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. की मौजूदा भंडारण क्षमता की परिस्थिति में सुधार की आवश्यकता थी।
(पैरा 4.3)

yf{kr ykd l forj. k i zkyh eal \kkj

- असम में द्वार तक खाद्यान्नों के संवितरण को कार्यान्वित नहीं किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में एन.एफ.एस.ए. के प्रावधान के उल्लंघन में एफ.पी.एस. डीलरों द्वारा द्वार तक संवितरण किया जा रहा था।
(पैरा 5.2.1)

- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में टी.पी.डी.एस. कार्यों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण नहीं किया गया था और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर था।
(पैरा 5.3.2)
- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में अपेक्षित कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा हार्डवेयर की अनुपलब्धता सीमित करने वाले कारक थे। राज्यों/सं.शा.क्षे. में पहचाने गए लाभार्थियों के डाटा का अपर्याप्त डिजीटीकरण पाया गया था।
(पैरा 5.3.3)

f' kdk r fuokj .k r= , oae~~WV~~Gj x

- यद्यपि अंतिम स्तर पर न होते हुए अधिकतर राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र का गठन हुआ था। जबकि नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में से छः में शिकायत निवारण तंत्र का गठन कर लिया गया था, यह पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे। किसी भी चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में सभी चार स्तरों पर निगरानी समितियां मौजूद नहीं थीं। मंत्रालय शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समिति कार्यान्वयन को मॉनीटर की स्थिति में नहीं था। उसी प्रकार, राज्यों द्वारा की गई मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी तथा निरीक्षणों में कमियां थीं।
(पैरा 6.2, 6.3)

vuqkl k, a

1. राज्य सरकारों के परामर्श के साथ मंत्रालय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पहचान पर दिशानिर्देश जारी करें।
2. मंत्रालयों को पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा लाभार्थियों को संशोधित/वर्धित हकदारी स्वीकृत करने से पूर्व उनकी वास्तविक पहचान से स्वयं को आश्वस्त करना चाहिए।
3. चूंकि, एन.एफ.एस.ए. में कोई समर्थकारी प्रावधान नहीं है, मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए बताई गई समय सीमा में वृद्धि के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।
4. मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रवृत्ति योजना तैयार की जानी चाहिए तथा एन.एफ.एस.ए. में परिकल्पित रूप से खाद्यान्नों के सामयिक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
5. मंत्रालय को खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि एवं मौजूदा भण्डारण सुविधाओं में संवर्धन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।
6. मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में टी.पी.डी.एस. परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण में अड्चनाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2015 dh ifrosnu I a 54

7. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समितियों के संबंध में एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों की अनुपालना राज्य करें तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे राज्यों/सं.शा.क्षे. से ट्रैमासिक रिपोर्टों को संग्रहित करके टी.पी.डी.एस. (सी) आदेश, 2015 के अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

vè; k 1

i Lrkouk

1-1 i "BHfe

भोजन हर जीवित प्राणी के अस्तित्व का आधार है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ लोगों को सस्ती दरों पर पर्याप्त खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत एक लक्ष्य है। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर मानव अधिकारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र की सार्वभौमिक घोषणा, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी राज्यों पर उसके नागरिकों को पर्याप्त खाद्य प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी डालती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, भारत के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 47 प्रावधान करता है कि राज्य अपने लोगों को पोषण—स्तर तथा जीवन—स्तर को उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्रमुख कर्तव्य मानेंगे।

भारत सरकार (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय के माध्यम से) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से लोक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य का संवितरण करके खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा करती है। पीडीएस, विगत सात दशकों से आवश्यकता आधारित प्रणाली से अधिकार आधारित पद्धति के रूप में विकसित हुई, जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

rkfydk 1%ykl l forj.k izkyh dk fodkl

लोक संवितरण प्रणाली (1942–1992)	अनिवार्य पदार्थों का लोक संवितरण अन्तर— विश्व युद्ध अवधि के दौरान भारत में विद्यमान था। शहरी दुर्लभ क्षेत्रों में खाद्यान्नों के संवितरण पर अपने फोकस के साथ, पीडीएस 1960 की अत्यधिक खाद्य कमी से प्रकट हुई थी। पीडीएस ने खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा शहरी उपभोक्ताओं को खाद्य की पहुंच को सुनिश्चित किया था। चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई इसलिए पीडीएस की पहुंच 1970 तथा 1980 के दशकों में जनजातीय ब्लाकों तथा अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों तक बढ़ा दी गई थी।
---------------------------------	--

2015 dhifrosu 1 a 54

<p>पुर्णांत्थान लोक संवितरण प्रणाली</p>	<p>नवीकृत लोक संवितरण प्रणाली (आरपीडीएस), पीडीएस को मजबूत और कारगर बनाने तथा दूर-दराज, पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों, जहाँ बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं में इसकी पहुंच को सुधारने की दृष्टि से जून, 1992 में शुरू की गई थी। इसमें क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम जैसे सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा पीडीएस अवसरंचना के सुधार के संबंध में कुछ निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र (डीएचए) शामिल किए गए थे। आरपीडीएस क्षेत्रों में संवितरण हेतु खाद्यान्न, राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम पर जारी किए गए थे। निर्गम का पैमाना 20 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड तक था।</p>
<p>लक्षित लोक संवितरण प्रणाली</p>	<p>जून 1997 में, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा उन्हे विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतें पर खाद्यान्न उपलब्ध करा कर इस प्रणाली को एक लक्षित लोक संवितरण (टीपीडीएस) के रूप में बुद्धीसंगत बनाया। टीपीडीएस में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लोगों को भी शामिल किया गया था, हालांकि एपीएल लाभार्थियों के लिए कीमतें बीपीएल लाभार्थियों से अधिक रखी गई थी। सबसे गरीब लोगों के वर्ग में भूखमरी को कम करने के लिए तथा इस वर्ग के लोगों के लिए गुणवत्ता तथा पोषण दोनों के रूप में पीडीएस के लाभों को और अधिक पर्याप्त बनाने के लिए सरकार ने दिसम्बर 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) शुरू की।</p>
<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.)</p>	<p>एन.एफ.एस.ए. एक ऐसे ढाचे के लिए सांविधिक आधार प्रदान करता है जो लगभग दो-तिहाई लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा आश्वस्त करता है तथा भोजन के अधिकार को विद्यमान टीपीडीएस पर आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करके, एक कानूनी हक देता है। अखिल भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत तक ग्रामीण और 50 प्रतिशत तक शहरी लोगों को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार किया गया है तथा राज्यों को उपर्युक्त आवृत्तन के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे। राज्य-वार प्रतिशतता आवृत्तन, उपयोग व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सर्वेक्षण 2011–12 के आधार पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। चूंकि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत आवृत्तन को गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया है इसलिए एपीएल तथा बीपीएल लाभार्थियों की अब तक अपनाई गई प्रणाली आगे संगत नहीं होगी।</p>

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

1-2 jk^uVt [k] l g{lk vfekfu; e] 2013 dh eq; fo~~sk~~krk a vFlok i hoeku

- एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एक वर्ष के समय में अर्थात् 4 जुलाई 2014 तक पूर्ण करना।
- प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित आवृत्तन के अन्दर, राज्य सरकारों को एएवाई तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान करनी थीं; विद्यमान एएवाई परिवारों की ग्राह्यता 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह पर संरक्षित करना जबकि ऐसे प्राथमिकता परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति माह मिलेंगे।
- एन.एफ.एस.ए. के शुरू होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए चावल, गेहुं और मोटा अनाज के लिए नियत आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतें क्रमशः ₹ 3/₹ 2/₹ 1 प्रति किलो तथा उसके पश्चात् उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ उचित प्रकार से जोड़ा जाना है।
- किसी राज्य को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्यान्न के वार्षिक आबंटन के मामले में सामान्य टीपीडीएस के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के लिए खाद्यान्न की वार्षिक उठाव औसत का संरक्षण करना।
- गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताएं न्यूनतम ₹6,000 प्रति प्रसव का मातृत्व लाभ एवं भोजन लेने की हकदार हैं।
- 6 माह से 14 वर्षों तक की आयु वर्ग से बच्चे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन की जा रही क्रमशः समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) तथा मध्याह्न भोजन (म.भो.) योजना के अंतर्गत भोजन के पात्र हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष अथवा अधिक की ज्येष्ठ महिला परिवार के मुखिया के रूप में माना जाना।
- गाह्य लाभार्थियों को उनकी ग्राह्यता के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने के मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।
- उन राज्यों में जहां विद्यमान मशीनरी का उपयोग करने अथवा पृथक तन्त्र की स्थापना करने का लचीलापन है, वहां जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान तन्त्र की स्थापना करना।
- केन्द्र सरकार राज्य को खाद्यान्न के अन्तर्ज्ञीय आवाजाही संचालन तथा उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को प्रदत्त लाभ के प्रति उसके द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।

2015 dh ifrosu 1 a 54

- सार्वजनिक डोमेन, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा सतर्कता समितियों में टीपीडीएस संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रावधान।
- जिला शिकायत समाधान अधिकारी द्वारा अनुशासित राहत का पालन करने में विफलता के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी अथवा प्राधिकारी पर लगाए जाने वाले दण्ड के लिए प्रावधान।
- केन्द्रीय पूल से राज्य को खाद्यान्न की कम आपूर्ति के मामले में, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधियां प्रदान करेगी।

1-3 , u-, Q-, l -, - dh rguk e Vhi hMh 1 dh fo' kskrkvka dh rguk

एन.एफ.एस.ए., विद्यमान टीपीडीएस पर निर्भर करता है। तथापि, विद्यमान टीपीडीएस में कमियों को दूर करने तथा अभिप्रेत लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत टीपीडीएस में कुछ नई विशेषताओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित तालिका पहले के टीपीडीएस की विशेषताओं की एन.एफ.एस.ए. की विशेषताओं के साथ तुलना करती है:

rkfydk 2: , u-, Q-, l -, - dh rguk e Vhi hMh 1 dh fo' kskrkvka dh rguk

fo' kskrk	Vhi hMh 1	एन.एफ.एस.ए.
भोजन के अधिकार का निहितार्थ	कोई कानूनी समर्थन नहीं	कानूनी समर्थन
आवृत्तन	99.22 ¹ करोड़ लाभभोगी अर्थात् 18.04 करोड़ परिवार × 5.5 (01.03.2000 को एक परिवार में औसत सदस्य)	75 प्रतिशत तक ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत तक शहरी लोग अर्थात् 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.34 करोड़ लाभभोगी।
श्रेणिया	एएवाई, बीपीएल एवं एपीएल	एएवाई तथा प्राथमिकता परिवार अर्थात्, राज्यों द्वारा निर्मित दिशानिर्देश / मापदण्ड के आधार पर पहचाने गए परिवार
लाभार्थियों की ग्राह्यता (श्रेणी-वार)	ए.ए.वाई. एवं बी.पी.एल.: 35 कि.ग्रा./परिवार/माह ए.पी.एल.: 15–35 कि.ग्रा./परिवार/माह	ए.ए.वाई.: 35 कि.ग्रा./परिवार/मास, प्राथमिकता परिवार: 5 कि.ग्रा./व्यक्ति/मास

¹ 99.22 करोड़ में 63.22 करोड़ एपीएल लाभार्थी शामिल हैं। एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवृत्तन अप्रत्याशित लाभार्थियों को कम करने के प्रति अधिक है।

fo' kskrk	Vhi hMh, l	एन.एफ.एस.ए.
खाद्यान्न की कीमते	ए.ए.वाई: चावल के लिए ₹ 3 /कि.ग्रा., गेहूं के लिए ₹ 2 /कि.ग्रा. बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. श्रेणियों: कीमतें राज्यों में अलग-अलग हैं।	ए.ए.वाई एवं प्राथमिकता परिवार: चावल के लिए ₹ 3 /कि.ग्रा., गेहूं के लिए ₹ 2 /कि.ग्रा. तथा मोटे अनाज के लिए ₹ 1 /कि.ग्रा.
लाभार्थियों की पहचान	केन्द्र: टी.पी.डी.एस में शामिल किए जाने के लिए राज्य-वार अनुमान जारी करता है। राज्य: पात्र परिवारों की पहचान करते हैं।	केन्द्र: एन.एफ.एस.ए. में शामिल किए जाने के लिए जनसंख्या के राज्य-वार अनुमान जारी करता है। राज्य: ए.ए.वाई: केन्द्र सरकार द्वारा जारी ए.ए.वाई योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करता है। प्राथमिकता परिवार: राज्य सरकार विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करते हैं।
केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व	केन्द्र: भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से खाद्यान्न का प्रापण, राज्य-वार आवंटन, राज्य भण्डारण डिपों तक खाद्यान्नों का परिवहन, एफ.सी.आई. के निर्देशित डिपोट्स तक राज्य: एफ.सी.आई. क्षेत्रीय गोदामों से राज्य भण्डारण डिपों तक (परिवहन की लागत राज्य द्वारा वहन की जाती है), राज्य भण्डारण डिपों से उचित मूल्य दुकानों तक (परिवहन की लागत ए.ए.वाई. लाभार्थी के अतिरिक्त या राज्य सरकार जनित द्वारा वहन की जाती है) खाद्यान्न की सुपुर्दगी लेता है।	केन्द्र: चालू प्रणाली के समान राज्य: एफ.सी.आई. डिपों से राज्य भण्डारण डिपों तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी लेते हैं; राज्य भण्डारण डिपों से उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न की सुपुर्दगी (परिवहन की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 23 राज्यों के संबंध में 50:50 तथा 13 ² राज्यों के संबंध में 75:25 के अनुपात में विभाजित की जाती है)

² पूर्वोत्तर के सात राज्य सिविकम, जे. एण्ड के., हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सं.शाक्षे., लक्ष्मीप, अं. एवं नि. द्वीपसमूह

fo' kskrk	Vhi Mh, l	एन.एफ.एस.ए.
शिकायत समाधान तंत्र	मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारें, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं एफ.पी.एस. स्तरों पर स्थापित की जाने वाली सतर्कता समितियां	मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारें, जिला शिकायत समाधान अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं, एन.एफ.एस.ए की समीक्षा एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा एफ.पी.एस. स्तरों पर स्थापित की जाने वाली सतर्कता समितियां
केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न की आपूर्ति न करना	कोई प्रावधान नहीं	केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्न की न्यून आपूर्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को न्यून आपूर्ति के बराबर निधियाँ जारी करेगी।
खाद्य सुरक्षा भत्ता	कोई प्रावधान नहीं	ग्राह्य व्यक्तियों को खाद्यान्न अथवा भोजन की ग्राह्य प्रमाणार्थों की आपूर्ति न करने के मामले में, वे व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा।


1-4 , u-, Q-, l -, - eacnyus dsfufgrkFZ

- dIe l jdkj grq vfrfj ä l fcl Mh Hkj – टी.पी.डी.एस तथा अन्य कल्याण योजना के अन्तर्गत (आबंटनों को हिसाब में लेते हुए) 563.70 लाख एम.टी. के आवंटन के प्रति एन.एफ.एस.ए के कार्यान्वयन से पहले टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत अनुमानित खाद्य सम्पत्ति ₹1,00,953 करोड़ थी। एन.एफ.एस.ए के अन्तर्गत 614.30 लाख एम.टी. की कुल अनुमानित वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकता के तदनुरूप, अनुमानित सम्पत्ति आवश्यकता³ लगभग ₹1,27,733 करोड़ है। अतः यह एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन पर ₹26,780 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त परिव्यय समाविष्ट करता है। **4/4uqak&1-1½**

³वर्ष 2013–14 हेतु आर्थिक लागत के आधार पर

- jkt; l jdkj kadsfy, foVkr fufgrkFk राज्य/सं.शा. सरकारों को एन.एफ.एस.ए में समिलित जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान निकायों पर अतिरिक्त व्यय वहन करना अपेक्षित है।
- dUe rFk jkt; l jdkj k } jk 0 ; dk foHkt u& केन्द्र तथा राज्य/सं.शा. सरकारों को खाद्यान्न की अन्तर्राज्यीय आवाजाही, संचालन और उचित मूल्य दुकान डीलरों का लाभ आपस में बांटना होता है। मंत्रालय ने अगस्त, 2015 में व्यय के विभाजन हेतु नियम अधिसूचित किए हैं। एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में ₹6,000 प्रति प्रसव के भुगतान को बनाई जाने वाली योजना के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाना है।

pkVZ1% [kk] kuka dk i ki . k rFk l forj.k



1-5 , u-, Q-, l -, - dk dk kMbr djus dsfy, vlo'; drk &r\$ kfj; k

एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत राज्यों/सं.शा.क्षे. को आवंटन आरम्भ करने के लिए मंत्रालय ने 19 अगस्त 2013 को राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रोफार्मा के माध्यम से निम्नलिखित उपायों के संबंध में अपनी तैयारियों को प्रमाणित करने का निर्देश दिया:

- ik= ifjokjke@ykkkEk ka dh igpku& पात्र परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना तथा अधिसूचना; तथा दिशानिर्देशों के अनुसार परिवारों की वास्तविक पहचान।
- jk'ku dkMz t kjh djuk& राज्यों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित

प्रावधानों को शामिल करते हुए नए राशन कार्ड जारी करने हैं।

- [kk| kIk dk }kj rd l forj.k& आखरी मील तक लीकेज को रोकने के लिए, एन.एफ.एस.ए. ने उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न के संवितरण का प्रावधान किया है।
- i; kr , oa oKk fud lk Mj .k {lerk & राज्यों को खाद्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता का सृजन करना अपेक्षित है।
- vklrfjd fikdk r l ekku rU=& कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों के पद स्थापित करना।
- ft yk fikdk r l ekku vfekdkj h& राज्य/सं.शा.क्षे. में प्रत्येक जिले हेतु डीजीआरओ की नियुक्ति की जानी होती है।
- jkt; [kk| vk ks& राज्य/सं.शा.क्षे. में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जानी होती है।

मंत्रालय ने भी अनुबंध किया कि उपरोक्त तैयारी कार्यों को प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. द्वारा उस प्रकार से प्रमाणित किया जाना चाहिए जो कानूनी संवीक्षा का सामना कर सके। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2014 में, मंत्रालय ने राज्यों को टीपीडीएस प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण जैसे लाभार्थियों का डिजीटीकरण, आपूर्ति चेन प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल आदि की समाप्ति में अपनी तैयारी को प्रमाणित करने का निर्देश दिया।

1-6 i hMh, l ʃu; a. k½vlnsk

मंत्रालय ने पी.डी.एस के अन्तर्गत आपूर्तियों को बनाए रखने तथा अनिवार्य पदार्थों की उपलब्धता तथा संवितरण को सुरक्षित करने के लिए 31 अगस्त 2001 को लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को अधिसूचित किया जिसे 29 जून 2004 को संशोधित किया गया था। पी.डी.एस (सी) आदेश, 2001 को एन.एफ.एस.ए. के अनुरूप लाने के लिए, मंत्रालय ने टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत आपूर्तियां बनाए रखने तथा अनिवार्य पदार्थों नामतः खाद्यान्न की उपलब्धता तथा संवितरण को सुरक्षित करने के लिए पी.डी.एस (सी) आदेश, 2001 के अतिक्रमण में 20 मार्च 2015 को लक्षित लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 अधिसूचित किया। नए आदेश में लाभार्थियों की पहचान, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, शिकायत निवारण तंत्र तथा लाभार्थी का डिजीटीकरण, राशन कार्ड तथा अन्य डाटाबेस आदि हेतु अतिरिक्त प्रावधान शामिल है। टी.पी.डी.एस (सी) आदेश, 2015 की धारा 3 के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लक्षित लोक संवितरण प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत पात्र परिवारों का राज्य-वार प्रतिशतता आवृत्तन को विनिर्दिष्ट किया गया था।

1-7 , u-, Q-, l -, - ds dk k^b; u grql e; l hek

राज्य सरकारों को इन पात्र परिवारों की एन.एफ.एस.ए. के आरम्भ होने से एक वर्ष के भीतर अर्थात् 4 जुलाई 2014 तक पहचान की जानी थी। इसे बाद में अतिरिक्त छः माह की अवधि तथा फिर से इसे दोबारा छः माह तक बढ़ाकर 30 सितम्बर 2015 तक कर दिया गया था।

अक्टूबर 2015 को सभी 36 राज्यों/सं.शा.क्षे. में शामिल किए जाने वाले कुल 81.34 करोड़ लाभार्थियों के प्रति 41.57 करोड़ (51 प्रतिशत) लाभार्थियों को शामिल करते हुए 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने एन.एफ.एस.ए. को लागू किया था। जैसाकि नीचे नक्शे में दिया गया है (हरा क्षेत्र उन राज्यों को दर्शाता है जिनमें एन.एफ.एस.ए. को लागू किया गया था):

fp= 1%, u-, Q-, l -, - dks ylkwdjus okys jkt; @l a{k{ks-



vè; k 2

yſ kki j hkk nf"Vdk k , oadk Zzkyh

2-1 yſ kki j hkk mls;

यह लेखापरीक्षा निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए तैयारी की स्थिति का निर्धारण करता है:

- कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने पात्र परिवारों की पहचान की थी तथा पहचान किए गए सभी पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए थे।
- कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के पास अपेक्षित अवसंरचना थी और वे परिवहन और भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए उसे बढ़ा रहे थे।
- कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने द्वारा तक सुपूर्दगी तथा कम्प्यूटरीकरण के संबंध में लक्षित लोक संवितरण प्रणाली में सुधार शुरू कर दिया था।
- कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ते सहित शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित किया था तथा क्या प्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया था।

2-2 yſ kki j hkk dk dk Zk , oayſ kki j hkk uews

प्रस्तावित लेखापरीक्षा में जुलाई 2013 से मार्च 2015 तक की अवधि शामिल की गई थी तथा उसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण तथा चयनित राज्यों में संगत विभाग में मंत्रीमंडल टिप्पणियों एवं अन्य अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्य की संवीक्षा शामिल थी। स्थान तथा तैयारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आठ राज्यों तथा एक संघ-शासित क्षेत्र को चुना गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i wk dk kubr ⁴	vákr%dk kubr ⁵	dk kubr ugha
छत्तीसगढ़	दिल्ली	असम
कर्नाटक	बिहार	झारखण्ड ⁶
महाराष्ट्र	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित सांख्यिकीय नमूने के चयन हेतु ढांचे का प्रयोग किया गया था :

- प्रत्येक चयनित राज्य को भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।

⁴ वे राज्य/सं.शा. क्षेत्र जिन्होने सभी लाभभोगियों की पहचान का दावा किया है पूर्णत कार्यान्वयित राज्य/सं.शा. क्षेत्र माने जाते हैं।

⁵ वे राज्य/सं.शा. क्षेत्र जिन्होने सभी लाभभोगियों की पहचान का दावा किया है पूर्णत कार्यान्वयित राज्य/सं.शा. क्षेत्र माने जाते हैं।

⁶ झारखण्ड सरकार ने अक्टूबर 2015 से एन.एफ.एस.ए. को कार्यान्वयित करना शुरू कर दिया है।

- आकार माप के साथ विभिन्न क्षेत्रों से स्वतन्त्र रूप से बिना प्रतिस्थापन के आकार के अनुसार संभावना अनुपात (पी.पी.एस.डब्लू.ओ.आर.) विधि का प्रयोग करते हुए वर्ष 2013–14 के दौरान संबंधित जिले को जारी खाद्यान की कुल प्रमात्रा (100 टन में) के रूप में न्यूनतम दो जिलों की शर्त पर 20 प्रतिशत जिले चुने गए थे।
- प्रत्येक नमूना जिला में, प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक नमूने (एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर.) को प्रयोग करते हुए दो ब्लॉक/सर्किल/तालूका चुने गए थे।
- प्रत्येक नमूना ब्लॉक/सर्किल/तालूका में, पुनः एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर. का प्रयोग करते हुए चार उचित मूल्य दुकानें (एफ.पी.एस.) चुनी गई थी।

इस प्रकार प्रत्येक चयनित जिले में, दो ब्लॉकों/सर्किलों/तालूका और 8 एफ.पी.एस. की लेखापरीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर, 42 जिले, 84 ब्लॉक और 336 एफ.पी.एस लेखापरीक्षा हेतु चुने गए थे। नमूना चयन के ब्यौरे vuqāk 2-1 में दिए गए हैं।

2-3 y^zki jh^zek n. M ds l h^z

विभिन्न प्रारम्भिक कार्यों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा दस्तावेजों के निम्नलिखित स्रोतों से उद्भूत मापदण्ड के संदर्भ में की गई थी:

- i. मंत्रीमण्डल टिप्पणियां
- ii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- iii. 2001 तथा 2015 के लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश
- iv. टीपीडीएस परिचालनों के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के योजना दिशानिर्देश
- v. राज्य/सं.शा. सरकारों को मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश
- vi. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशें
- vii. समय—समय पर कार्यान्वयन हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों द्वारा जारी अनुदेश
- viii. राज्यों/सं.शा. सरकारों के साथ मंत्रालय का पत्राचार

2-4 y^zki jh^zek i) fr rFk e^zky; dk m^Ykj

लेखापरीक्षा 18 मई 2015 को मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा पद्धति को स्पष्ट किया गया

2015 dh ifrosu 1 a 54

था। प्रवेश सम्मेलनों का राज्य स्तर पर भी आयोजन किया गया था।

लेखापरीक्षा दलों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय, नौ चयनित राज्यों/सं.शाक्षे. में जिलों, ब्लाकों तथा उचित मूल्य दूकानों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात्, सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 के दौरान नौ राज्यों में निर्गम सम्मेलनों का आयोजन किया गया था जबकि मंत्रालय में इसे 9 नवम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर 26 नवम्बर 2015 को प्राप्त किया गया था। मंत्रालय तथा राज्यों से प्राप्त उत्तरों पर विचार किया गया है तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय उन्हें उचित रूप से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं। इस प्रतिवेदन को अध्याय 1 तथा 2 एन.एफ.एस.ए. पर पृष्ठभूमि सूचना तथा हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अध्याय 3,4,5 तथा 6 क्रमशः लाभार्थियों की पहचान तथा राशन कार्ड जारी करने, लोजिस्टिक में तैयारी, टीपीडीएस में सुधार, शिकायत समाधान तंत्र तथा मानीटरिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

2.5 vHkj idV

लेखापरीक्षा मंत्रालय, राज्य विभागों/अभिकरणों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा इस लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान सहयोग तथा सहायता का आभार प्रकट करती है।

vè; k 3


ykHkEk; k adh igpku djuk
vkj jk'ku dkMz t kjh djuk

3-1 t ul q; k dh jkt; &okj dojt

एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 (1) (ख) के अनुसार, राज्य द्वारा पात्र परिवारों/इकाईयों की पहचान, एन.एफ.एस.ए. शुरू होने के 365 दिन के अन्दर पूरी की जानी थी। ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों द्वारा योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तथा शेष परिवारों की पहचान प्राथमिकता परिवारों के रूप में संबंधित राज्यों/सं.रा. सरकारों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी थी। एन.एफ.एस.ए. में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी लोगों की क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत कवरेज का प्रावधान है, जिसके अनुसार राज्य-वार कवरेज योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी।

निम्नलिखित चार्ट ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की कवरेज को तथा अन्तोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) तथा प्राथमिकता परिवारों की श्रेणियों में लाभभोगियों की पहचान को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के अनुसार उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता है :

pkVZ2& t ul q; k dh dojt rEkk , u-, Q-, l -, -
ds vUrxz bl dh igpku



2015 dh iſtrosu 1 a 54

3-2 igplu dh fLFkr

निम्नलिखित तालिका में उन राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों की सूची दी गई है जिन्हें उनके द्वारा सूचित लाभभोगियों की पहचान और अन्य प्रारंभिक क्रियाकलापों के समापन के आधार पर एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटित किए गए थे;

rkydk 3%jkt; k } jk , u-, Q-, l -, - vuqkyu dh fLFkr 1/2waj 2015½


Ø- la	jkt; @l ajk {k= dkule	ft l eghsl sdk kb; u vkjHkgvk
1.	हरियाणा	सितम्बर, 2013
2.	राजस्थान	अक्टूबर, 2013
3.	दिल्ली	अक्टूबर, 2013
4.	हिमाचल प्रदेश	अक्टूबर, 2013
5.	पंजाब	दिसम्बर, 2013
6.	कर्नाटक	जनवरी, 2014
7.	छत्तीसगढ़	जनवरी, 2014
8.	महाराष्ट्र	फरवरी, 2014
9.	चण्डीगढ़	फरवरी, 2014
10.	मध्य प्रदेश	मार्च, 2014
11.	बिहार	मार्च, 2014
12.	पश्चिम बंगाल	जून, 2015
13.	लक्षद्वीप	अगस्त, 2015
14.	त्रिपुरा	सितम्बर, 2015
15.	पुदुचेरी	सितम्बर, 2015
16.	उत्तराखण्ड	अक्टूबर, 2015
17.	झारखण्ड	अक्टूबर, 2015
18.	तेलंगाना	अक्टूबर, 2015

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा :

एन.एफ.एस.ए. अधिनियम के अनुसार राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों से पात्र परिवारों की 365 दिनों के अन्दर पहचान की जानी अपेक्षित थी। एन.एफ.एस.ए. ने यह भी निर्धारित किया कि राज्य सरकार उन परिवारों की पहचान पूरी होने तक टी पी डी एस के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त करती रहेगी। यह देखा गया था कि कुल 36 राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों में से,

- केवल 11⁷ राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने 365 दिन की निर्धारित समय—सीमा के अन्दर पात्र परिवारों की पहचान सूचित की तथा सितम्बर 2013 – मार्च 2014 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्यान्न ले रहे थे;
- सात⁸ और राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों का आंकड़ा 18 लेते हुए जून–अक्टूबर 2015 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान सूचित की थी।
- कुल मिलाकर, देश में 51 प्रतिशत योग्य लाभभोगियों की पहचान कर ली गई थी और 49 प्रतिशत लाभभोगियों की पहचान अभी की जानी थी। ⁹ जैसा कि चार्ट 3 में दर्शाया गया है।



यह भी देखा गया था कि उपर्युक्त 18 राज्यों में से आठ राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों⁹ ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत कवरेज हेतु पहचान पूर्णतः पूर्ण कर ली थी। तथापि, यह देखागया था कि 10 राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों¹⁰ के मामले में एन.एफ.एस.ए. लागू की गई थी हालांकि इन राज्यों ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में लाभभोगियों की पहचान पूरी नहीं की थी। इन 10 राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में कुल 2621.29 लाख लाभभोगियों के प्रति, केवल 2077.88 लाख लाभभोगियों की पहचान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एन एस ए के अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न का लाभ 543.41 लाख लक्षित लाभभोगियों को उनकी पहचान न होने के कारण नहीं मिला।

18 राज्यों/सं.रा.राज्यों के लिए, जिन्होंने पहचान का समापन सूचित नहीं किया था, मंत्रालय ने कार्यान्वयन हेतु समय—सीमा तीन बार बढ़ाई थी जो अन्त में सितम्बर, 2015 कर दी गई थी।

मंत्रालय ने बताया कि लाभार्थियों की अपूर्ण पहचान वाले राज्य/सं.शा.क्षे. में एन.एफ.एस.ए. द्वारा एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन को नहीं रोका गया था। ऐसे राज्यों में आंशिक कवरेज को स्वीकृत करते हुए, कम से कम ऐसे पहचान किए गए लोग एन.एफ.एस.ए. की परिधि के अंतर्गत आए थे तथा शीघ्र ही एन.एफ.एस.ए. का लाभ उठाया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.एफ.एस.ए. की धारा 10(1)(ख) के अंतर्गत, जब तक ऐसे परिवारों की पहचान पूरी होती है तब तक राज्य सरकार मौजूदा लक्षित लोक

⁷बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान।

⁸त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप।

⁹छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड।

¹⁰बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी।

2015 dh i froru I a 54

संवितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त करती रहेगी। इस प्रकार, एन.एफ.एस.ए. स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लाभभोगियों की पहचान की जानी आवश्यक है।

3-3 ykwu djus okys jk; k@l ajk jk; k }jk , u-, Q-, l -, - ds dk k; u eafoyEc

एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा में एक विश्लेषण किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत आवंटन हेतु अर्हक न होने वाले राज्यों में एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन न होने के लिए निम्नलिखित कारणों का पता चला :

- i) मंत्रालय ने सूचित किया था कि राज्य/सं. रा. क्षेत्र, यदि चाहें तो प्राथमिकता परिवारों की श्रेणी में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एस ई सी सी) डॉटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रावधान विभिन्न केन्द्र सरकार कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए ग्रामीण तथा शहरी पात्रता और हकदारी का निर्धारण करने के लिए 2011 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित की जा रही चालू एस ई सी सी को ध्यान में रख कर किया गया था। तथापि, एस ई सी सी 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य जुलाई 2013 तक पूरा नहीं हुआ था। एस ई सी सी सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना था (नवम्बर 2015)। यह देखा गया था कि उत्तर प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों ने उल्लेख किया कि विलम्ब एस ई सी सी के अन्तर्गत आंकड़ों को अन्तिम रूप न देने के कारण था।
- ii) गुजरात ने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या तथा एस ई सी सी के आंकड़ों में अन्तर बताया।
- iii) उड़ीसा द्वारा इसका एक कारण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटा प्राप्त करने में विलम्ब बताया गया था।
- iv) अवसंरचना सुविधाओं के अभाव, अपर्याप्त निधियों तथा मानव शक्ति के कारण एन.एफ.एस.ए. अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ये मुद्दे राज्यों द्वारा बिल बनाने के दौरान तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय के साथ उठाए गए थे। तथापि, इन मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हुआ था।
- v) आन्ध्रप्रदेश ने विलम्ब का कारण, राज्य का विभाजन बताया।
- vi) दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल तथा तमिलनाडु ने सूचित किया कि प्रारम्भिक उपाय किए जा रहे थे।
- vii) लेखापरीक्षा ने देखा कि पात्र लाभभोगियों को अंकीकरण पूरा न होने के कारण असम में कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि पहचान की जिम्मेदारी राज्यों की थी। प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान हेतु मानदंड को रूप देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी। यह एस.ई.सी.सी. या केन्द्र सरकार के किसी अन्य दिशानिर्देशों से संबद्ध नहीं था। एक बार राज्य द्वारा मानदंड को निर्धारित कर लिया गया है, उसे अपने द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों की वास्तविक पहचान निर्धारित करनी होगी। वह इस उद्देश्य के लिए एस.ई.सी.सी. या किसी अन्य विश्वसनीय डाटा का उपयोग कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011 में एन.एफ.एस.ए. को लागू करने से पूर्व कई राज्यों ने लाभार्थियों की पहचान के मुद्दे को एक प्रमुख बाधा के रूप में उठाया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एस.ई.सी.सी. के अंतर्गत संग्रहित डाटा में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की संख्या के बारे में सूचना होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों, विशेषज्ञों एवं सिविल सोसाइटी के परामर्श सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग खाद्य सुरक्षा बिल के प्रावधानों से मेल पर सहमत कार्यप्रणाली पर सहमति होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई गरीब परिवार कवरेज से अपवर्जित न हो। हालांकि, मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. अपने स्वयं के दिशानिर्देशों/मानदंड का निर्माण स्वीकृत करेंगे। इससे कार्यान्वयन में विलंब हुआ क्योंकि कई राज्य एस.ई.सी.सी. के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

3-4 yHñkx; kdh i gplu grql e; dk vfu; fer foLrkj

एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 (1) के अनुसार, राज्य सरकारों को एन.एफ.एस.ए. के शुरू होने से एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 4 जुलाई 2014 तक पात्र परिवारों की पहचान करनी थी। तथापि, यह देखा गया था कि केवल 11राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में निर्धारित एक वर्ष के अन्दर इस प्रारंभिक कार्य का समापन सूचित किया था। मंत्रालय ने बाद में जून 2014 में यह समय सीमा तीन महीने तक बढ़ा दी थी। चूंकि अन्य किसी भी राज्य ने विस्तारित अवधि के दौरान लाभभोगियों की पहचान पूर्ण करने के संबंध में सूचित नहीं किया था, अतः इसे पुनः छः माह की और अवधि हेतु 30 सितम्बर 2015 तक बढ़ा दिया गया था।



लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.एफ.एस.ए. में बिना किसी अधिकृत प्रावधान के मंत्रालय ने लाभभोगियों की पहचान हेतु समय—सीमा बढ़ा दी, जो अनियमित था।

मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न कारणों जैसे कि संपूर्ण डाटा की गैर-उपलब्धता, सर्वेक्षण/सत्यापन संचालित करने के लिए लिया गया समय, एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु वांछित प्रारंभिक गतिविधियों का पूर्ण होने आदि के कारण पात्र परिवारों की पहचान में विलंब हुए। अतः एन.एफ.एस.ए. राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रारंभिक गतिविधियों की संतोषजनक समापन तथा इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए समय—सीमा में वृद्धि के लिए निर्णय लिया गया था।

2015 dh i frosu I a 54

मंत्रालय ने आगे बताया कि नवम्बर 2015 तक एन.एफ.एस.ए. को 23 राज्यों/सं.शा. क्षे. में कार्यान्वित किया जा रहा था तथा जब से एन.एफ.एस.ए. की शुरूआत हुई है काफी समय बीत चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ताकि एन.एफ.एस.ए. को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार के आगे हुए विलंब की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित राज्य/सं.शा. क्षे. की होगी।


एन.एफ.एस.ए. के पास समय की वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, एन.एफ.एस.ए. की धारा 42(1) निर्धारित करती है कि यदि एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित रूप के ऐसे कुछ प्रावधान बना सकती है ताकि एन.एफ.एस.ए. की शुरूआत से दो वर्षों के भीतर कठिनाई को हटाया जा सके। ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने योग्य परिवारों की पहचान में राज्यों द्वारा सामना की गई समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। बल्कि, एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत उपलब्ध वृद्धि हेतु किसी प्रावधान के न होने के बावजूद अधिनियम में प्रस्तुत 365 दिनों की समय सीमा में तीन बार वृद्धि की गई थी।

3-5 p; fur jkt; k eadojt

अक्टूबर 2015 तक चयनित लागू करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों में एन.एफ.एस.ए. के अनुसार कुल लाभभोगियों के प्रति लाभभोगियों की कवरेज के ब्यौरे निम्न चार्ट में दिए गए हैं :

pkVZ4 % ylkwdj us okysjkt; k eat ul q; k dh dojt



1 hr % eaky; ds vfHkyqk

चयनित राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि लाभभोगियों की पहचान एन एस एफ ए के अनुसार नहीं की गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया :

fcgkj % राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की बल्कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत विद्मान ए.ए.वाई. परिवार ही शामिल कर लिए। उसने पात्र प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए दिशानिर्देश बनाए जिनमें अन्तर्वेशन और बहिर्वेशन दोनों मापदण्ड शामिल किए गए। यह देखा गया था कि दिशानिर्देशों के अनुसार, उन परिवारों को शामिल नहीं किया जाना था जिनमें केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा स्वायत्त संस्थाओं का नियमित कर्मचारी उसका सदस्य हो। तथापि, लाभभोगियों की कवरेज में कमी को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2014 में दिशानिर्देश संशोधित किए तथा राज्य सरकार में कार्यरत अ.जा/अ.ज.जा. श्रेणी से नियमित चतुर्थ/घ कर्मचारी को शामिल करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने लाभार्थियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे मानदंड को शामिल करने का सहारा लिया होगा।

मंत्रालय ने माना कि राज्यों द्वारा निर्धारित मानदंड राज्यों का विशेषाधिकार था। हालांकि, यद्यपि मानदंड निर्धारित करना राज्यों का विशेषाधिकार था, मंत्रालय द्वारा किसी दिशानिर्देश की अनुपस्थिति में, योग्य लाभार्थियों की संख्या में अंतराल को पूरा करने के लिए तथा एन.एफ.एस.ए. द्वारा निर्धारित कवरेज की सीमा के लिए राज्यों ने अपने मानदंड का सहारा लिया था।

NYkh x<% राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (सी जी एफ एस ए), सितम्बर, 2013 में लागू किया। सी जी एफ एस ए को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने परिकल्पित आवश्यक कार्रवाई की तथा सी जी एफ एस ए की मुख्य विशेषताएं वही थीं जो एन.एफ.एस.ए. की थीं। राज्य ने उसका अपना मापदण्ड अपनाया तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने से पहले कार्यान्वयन पूरा कर लिया। एन.एफ.एस.ए. की अधिसूचना पर, राज्य ने मंत्रालय को विद्मान प्रयासों के बारे में बताया तथा मंत्रालय ने उन्हें जनवरी 2014 से एन.एफ.एस.ए. अनुपालित माने जाने की अनुमति प्रदान कर दी।

fnYyh % दिल्ली सरकार ने शुरू में सितंबर 2013 से एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ देने के लिए बी पी एल, ए.ए.वाई., झुग्गी राशन कार्डों तथा पुनर्वास कॉलोनी राशन कार्डों के अन्तर्गत विद्मान 6.29 लाख बी.पी.एल.परिवारों से अ.अ.यो. परिवारों के रूप में 1.04 लाख तथा प्राथमिकता परिवारों के रूप में 5.25 लाख परिवारों का चयन किया। दिल्ली सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु जुलाई 2013 में दिशानिर्देश अधिसूचित किए। बाद में, वास्तविक पहचान की प्रक्रिया के दौरान, शुरू में पहचाने गए 6.29 लाख में से 2.20 लाख परिवार (0.30 लाख ए.ए.वाई. तथा 1.90 लाख प्राथमिक परिवार) अप्रैल 2014 में हटा दिए गए थे क्योंकि उनमें डुप्लिकेट तथा अपात्र परिवार थे जिसका मतलब था कि राज्य सरकार ने सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक 2.20 लाख अपात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न आपूर्त किए।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹1.00 लाख से कम की कुल वार्षिक आय वाले परिवार, प्राथमिक परिवारों के अन्तर्गत शामिल होने के पात्र थे। यह देखा गया

2015 dhifrosu 1 a 54

था कि ₹ एक लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले 1.55 लाख अपात्र परिवारों को, जिन्हें दिल्ली सरकार ने पहले बिना मुहर के ए पी एल कार्ड जारी कर दिए थे, परन्तु टी पी डी एस के अन्तर्गत रियायती खाद्यान्न जारी नहीं किए गए थे, को प्राथमिकता परिवारों के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इस प्रकार, ऐसे अपात्र 1.55 लाख परिवारों को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ दिया गया।

मंत्रालय ने बताया कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत दिल्ली से खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को अक्टूबर, 2013 से अक्टूबर, 2014 तक संशोधित किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि आगामी महीनों में आवंटन के प्रति संशोधित आवंटन के आधिक्य में उठाई गई अतिरिक्त मात्रा को समायोजित किया जाएगा।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जो कि पहचाने गए लाभार्थियों की सूची में निकाले जाने एवं शामिल किए जाने में गलतियों की आशंका का संकेत देता था।

fgelky in\\$k % यद्यपि राज्य सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पहचान हेतु दिशानिर्देश बनाए थे, तथापि उसने ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की। उसने विद्यमान बी पी एल.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों से ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवार लिए। यह भी देखा गया था कि राज्य सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत 31.06 लाख लाभभोगियों की पहचान की और उन्हें लाभ दिया, तथापि, इस कारण से कि राज्य में लाभभोगियों का अंकीकरण पूरा नहीं किया गया था, मंत्रालय ने राज्य द्वारा शुरू में पहचाने गए 26.78 लाख लाभभोगियों के लिए ही खाद्यान्न जारी किए।

dulkWd % राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की बल्कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत विद्यमान ए.ए.वाई. परिवार ही अग्रेनीत किए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने परिवारों की प्राथमिकता परिवारों के रूप में पहचान के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए परन्तु प्राथमिकता परिवार लाभभोगियों के रूप में अपेक्षित 359.81 लाख के प्रति विद्यमान 403.25 लाख बी पी एल परिवार शामिल कर लिए और इस प्रकार अपने स्रोतों से अतिरिक्त 43.44 लाख लाभभोगियों को एन.एफ.एस.ए. का लाभ दिया।

यह भी देखा गया था कि राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना (ए बी एस) के नाम से एक योजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य जुलाई 2013 से समूचे राज्य के बी पी एल परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति का परिवार 10 कि. ग्रा. चावल, दों व्यक्तियों का परिवार 20 कि. ग्रा. चावल तथा तीन और उससे अधिक लोगों की संख्या का परिवार 30 कि. ग्रा. चावल प्रति माह का पात्र है। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के पश्चात् भी, राज्य सरकार ने खाद्यान्न जारी करने के उसी पैमाने का अनुसरण जारी रखा जो ए बी एस के अन्तर्गत नियत किया गया था, जो एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र हकदारी से अधिक था। परिणायतः राज्य सरकार की मांग को पूरा करने के लिए बाज़ार से अधिक खाद्यान्न खरीदना पड़ा तथा ₹ 2,070.46 करोड़ की सब्सिडी का भार राजकोष को वहन करना पड़ा।

egkj k%V^a % राज्य सरकार ने नई पहचान जांच शुरू नहीं किया तथा ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए विद्यमान ए.ए.वाई., बी पी एल, ए पी एल कार्ड धारक ही अग्रेनीत किए।

v1 e% ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गिनती करने के बजाए, राज्य सरकार ने टी पी डी एस के अन्तर्गत सभी विद्यमान ए.ए.वाई. परिवारों को शामिल करने के अनुदेश जारी किए। 7.04 लाख ए.ए.वाई. परिवारों की अधिकतम सीमा के प्रति, राज्य सरकार ने 6.56 लाख की पहचान की। राज्य सरकार ने प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देश बनाए। राज्य के सितम्बर 2014 तक 252.08 लाख के लक्षित लोग शामिल करने थे परन्तु वे मार्च 2015 तक 249.87 लाख ही शामिल कर सके और इस प्रकार कवरेज में 2.21 लाख की कमी थी।

यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए जनगणना जनसंख्या की 84.17 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड/नगर समिति में 60.35 प्रतिशत की एकरूप दर का लक्ष्य रखा।

पांच नमूना जांच किए गए जिलों में से दो¹¹ में यह भी देखा गया था कि पहचाने गए पात्र परिवारों को जारी करने के लिए राशन कार्ड बनाते समय, ज़िला प्राधिकारियों ने 41 प्राथमिकता परिवारों के सदस्यों की संख्या बिना कोई कारण बताए 347 से घटाकर 174 कर दी। परिवारों के सदस्यों की कटौती कुल परिवार सदस्यों के प्रति दो से दस सदस्य के बीच थी, यद्यपि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र के साथ सभी सदस्यों के विवरण एवं समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे।

यह देखा गया था कि सोनितपुर ज़िला में, 1656 परिवार जिनमें ए.ए.वाई. के अन्तर्गत अन्तर्वेशन हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 1.00 लाख के निर्धारित स्तर से कम वार्षिक आय वाले चाय सम्पदाओं में कार्यरत 10,170 श्रमिक शामिल थे, जो एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए थे। दो नमूना जांच किए गए जिलों¹² में, यह पता चला था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस मापदण्ड के विरुद्ध, कि कोई सरकारी कर्मचारी एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ का पात्र नहीं होगा, 52 परिवार जिनके सदस्य सरकारी कर्मचारी थे, चुन लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, दुबरी ज़िला में, यह देखा गया था कि 50 ए.ए.वाई. परिवारों की आय चयनित प्राथमिकता परिवारों की आय से अधिक थी जो लाभभोगियों के गलत चुनाव को दर्शाता था।

Ökj [k M% अक्तूबर 2014 में, राज्य सरकार ने लाभभोगियों के चयन हेतु एस ई सी सी डॉटा के प्रयोग का निर्णय लिया और मार्च 2015 में उसके चयन हेतु चरणबद्य क्रियाकलाप निर्धारित किए। राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए ड्राफ्ट एस ई सी सी 2011 डॉटा के आधार पर अक्तूबर 2015 से एन.एफ.एस.ए. कार्यान्वित किया। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में विलम्ब हुआ।

mYkj i zns k% प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए मापदण्ड को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ था क्योंकि राज्य सरकार ने मापदण्ड को केवल अक्तूबर 2014 में

¹¹ सोनितपुर, नागांव

¹² बक्सा, सोनितपुर-

अन्तिम रूप दिया और दिसम्बर 2014 में उसे अधिसूचित किया जिसके पश्चात पहचान हेतु सर्वेक्षण किया गया जो मार्च 2015 तक अधूरा था। राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नये से प्रयास नहीं किया परन्तु ए.ए.वाई. परिवारों के रूप में टी.पी.डी.एस के अन्तर्गत विद्यमान 40.94 लाख ए.ए.वाई. परिवारों को शामिल कर लिया और वो भी किसी सर्वेक्षण/सत्यापन के बिना।

मंत्रालय ने दलील दी कि पहचान के लिए अभ्यास की शुरूआत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अं.अ.यो. एक चल रही योजना थी तथा अं.अ.यो. परिवारों की संख्या के साथ उनकी पहचान के लिए मानदंड प्रत्येक राज्य के लिए पहले से ही निर्दिष्ट थे। प्राथमिकता परिवारों के लिए, राज्य के पास पहले से ही तत्कालीन टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत बी.पी.एल., अं.अ.यो. तथा ए.पी.एल. परिवारों की जनसंख्या समष्टि शामिल थी। राज्यों से प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए, इसके लिए निर्धारित संख्या के भीतर दिशानिर्देश/मानदंड विकसित करने की आवश्यकता थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 में शब्द 'पहचान' का उपयोग किया गया था जिसका तात्पर्य है कि पहचान की प्रक्रिया आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, 17 जुलाई 2013 के राज्यों/सं.शा.क्षे. को मंत्रालय के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नई पहचान की प्रक्रिया की शुरूआत की जानी चाहिए थी।

3-6 igpusx, ifjokjksdkjkku dkMztkjh djuk

एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी (17 जुलाई 2013) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा उन परिवारों को जिनकी मुखिया घर की सबसे बड़ी औरत हो, नए राशन कार्ड जारी किए जाने अपेक्षित थे। नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

fgekpy i ns k % एन.एफ.एस.ए. अनुपालन की अनुरूपता हेतु प्राथमिकता परिवारों तथा ए.ए.वाई. परिवारों के रूप में 6.9 लाख पुराने राशन कार्डों पर मुहर लगाई गई थी और उन्हें फिर से जारी किया गया जैसा कि यहां दर्शाया गया है।

fcgkj% जारी किए जाने वाले 1.42 करोड़ प्राथमिकता परिवारों के प्रति, राज्य सरकार



द्वारा 5.49 लाख राशन कार्ड वितरित नहीं किए गए थे। नमूना—जांच किए गए ज़िलों में मृत्यु, स्थानान्तरण तथा मुद्रण त्रुटियों के कारण एकल परिवार को दो कार्ड जारी करने से बचने के लिए कार्डों का वितरण रोक दिया गया था।

NYkl x<% जनगणना 2011 के अनुसार 29.97 लाख परिवारों की कुल संख्या के प्रति, 38.54 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए थे तथा राशन कार्डों के रद्दीकरण के पश्चात् मई 2015 तक 33.82 लाख राशन कार्ड सक्रिय पाए गए थे। इस प्रकार, 3.84 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड रद्द नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा (मई 2015), में इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (जून 2015) कि आवेदन की प्राप्ति तथा राशन कार्डों को जारी करने के लिए समय सीमा बहुत कम थी इसलिए सभी आवेदनों का सत्यापन करना संभव नहीं था। इसी कारण, अयोग्य तथा जाली आवेदन की भी प्रविष्टियां की गई थीं जिन्हें राशन कार्डों के सत्यापन अभियान के संचालन के पश्चात् रद्द किया गया था।

तथ्य यही है कि उचित सर्वेक्षण एवं सत्यापन के बिना नए राशन कार्डों को जारी किया जाना अनियमित था।

fnYyW% यद्यपि राज्य ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत 72.64 लाख लाभभोगियों की पहचान की थी, तथापि प्राथमिकता परिवारों तथा ए.ए.वाई. के अन्तर्गत नए राशन कार्डों से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई और इस प्रकार जारी किए गए राशन कार्डों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

duWd% राज्य सरकार ने उनके द्वारा पहचाने गए 445.36 लाख लाभभोगियों के प्रति ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों के लिए 113.23 लाख राशन कार्ड जारी किए। जून 2015 तक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी) विवरण की सीडिंग के दौरान विद्यमान प्रणाली में 8.90 लाख जाली और अपात्र राशन कार्ड पाए गए थे। तथापि, इन जाली तथा अपात्र राशन कार्डों को रद्द करने के बजाए, राज्य सरकार उन पर खाद्यान्न जारी करती रही।

egkjKV% हिमाचल प्रदेश की तरह, राशन कार्ड की विभिन्न श्रेणीयों के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्डों पर केवल मुहर लगा कर उन्हें दोबारा वैध किया गया था।

vl e% राज्य सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए मात्र 56.21 लाख परिवारों की मांग के प्रति 59.92 लाख राशन कार्ड मुद्रित करा लिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जनवरी तथा फरवरी 2014 के दौरान सभी ज़िलों को आगे वितरित करने के लिए, इस प्रकार 57.09 लाख राशन कार्ड जारी किए तथा शेष अवितरित 2.83 लाख राशन कार्ड मांग का समुचित निर्धारण किए बिना कार्डों के मुद्रण के कारण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय में पड़े हुए थे।

mYkj i ns% एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभभोगियों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, और इसलिए कोई नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। तथापि, विद्यमान राशन कार्डों की वैधता एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन तक बढ़ा दी गई थी।

2015 dh i frostu I a 54

3-6-1jk ku dkMseaeqykl 'fadj.kl sl afekr i hoekukadk dk kb; u

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एन.एफ.एस.ए., की धारा 13 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पात्र परिवार में, न्यूनतम 18 वर्ष आयु से अधिक आयु वाली महिला को राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से उसे परिवार के मुखिया के रूप में पहचान की जाएगी। जहां एक परिवार में किसी भी समय कोई महिला, अथवा अठारह वर्ष की उम्र अथवा अधिक की महिला नहीं है, केवल तभी राशन कार्ड परिवार के पुरुष सदस्य को जारी किया जा सकता है और उन मामलों में भी महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिवार की मुखिया बन जाएगी। एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत राशन कार्डों को व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हकदारी नियमों के आधार पर अनुरूपित किया जाना था। क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला।

fgelky i nsk में यह देखा गया कि विद्यमान पुराने राशन कार्ड, जिनमें विशेष रूप से परिवार के मुखिया के रूप में घर की सबसे बड़ी महिला की पहचान नहीं की गई थी, जारी किए जा रहे थे।

dukwId में, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 18 वर्ष तथा अधिक की महिला सदस्यों के होने के बावजूद, परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष सदस्य के नाम से 21.14 लाख नए तथा आशोधित राशन कार्ड जारी किए। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि इन परिवारों को नए ऑन लाईन राशन कार्ड जारी करते समय, घर की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।

vl e में, स्थिति वैसी ही थी। यद्यपि परिवारों में महिला सदस्य मौजूद थी, फिर भी 207 राशन कार्ड पुरुष सदस्य के नाम बनाए गए थे। ऐसे मामले भी देखे गए थे जिनमें परिवारों की सबसे बड़ी महिला के अलावा अन्य महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनाए गए थे।

egkjlk'V^a में, एन.एफ.एस.ए. के नए प्रावधानों में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य का पालन नहीं किया गया क्योंकि नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे और विद्यमान कार्डों को पुनर्वैध किया गया था।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि राज्यों का उत्तर के लिए अनुसरण किया जा रहा था तथा यह कि असम ने सूचित किया था कि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम से राशन कार्ड को तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

3-7 ekrRo ykkarFk vuqqjd i lsk k l sl afekr i hoekukadk dk kb; u

3-7-1, u-, Q-, l -, - ds vUrxFk i nYk ekrRo ykk l eys nsk eaughfn, X,

अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गए उक्त योजनाओं के शर्त के अनुसार, प्रत्येक गर्भवती महिला तथा दूध पिलाने वाली माँ, केन्द्र सरकार

द्वारा निर्धारित किश्तों में न्यूनतम छ: हजार रुपए के मातृत्व लाभ की हकदार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अक्टूबर 2010 से समूचे देश के 53 जिलों में पॉयलट आधार पर गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं (पी एवं एल) महिलाओं के लिए इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई जी एम एस वाई) नामक एक सशर्त नकद अन्तरण योजना चला रहा है।

अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात, योजना के अन्तर्गत मातृत्व लाभ 5 जुलाई 2013 से ₹ 4,000 से बढ़ा कर ₹ 6,000 कर दिया गया था। तथापि, यह देखा गया कि योजना केवल 53 अग्रणी जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी क्योंकि केन्द्र सरकार तथा राज्य/सं. रा. सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी प्रारूप को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) की आई जी एम एस वाई हेतु लागत हिस्सेदारी वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2015 में तय कर दी गयी थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने आई जी एम एस वाई के देश के सभी जिलों में विस्तार हेतु आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही आरंभ कर दी है।

इस प्रकार मातृत्व लाभ यद्यपि एन.एफ.एस.ए. के माध्यम से अनिवार्य किए गए थे, तथापि, उन्हें देश में गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं तक पहुँचाना अभी बाकी था तथा यह कुछ चुनिन्दा ज़िलों में ही उपलब्ध था।

3-7-2 vuqjyd ikk k ½kbZl h Mh ,1 ds vUrxZ½fu; eloyh 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार, छ: महीने से छ: वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के मामले में निःशुल्क समुचित भोजन, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र (ए डब्लू सी) के माध्यम से प्रदत्त कराया जाना था ताकि एन.एफ.एस.ए. में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों का पालन किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, राज्य सरकारों के परामर्श से अनुपरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत) नियम, 2015 बनाया। तथापि, ए डब्लू सी के लाभभोगियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया जोकि एन.एफ.एस.ए. की धारा 8 के अन्तर्गत आवश्यक था।

fu"d"K

जुलाई 2013 में एन.एफ.एस.ए.के प्रभावी होने के ढाई वर्ष पश्चात, केवल 18 राज्य/सं. रा. क्षेत्रों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन होने की सूचना थी। कई राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में, यद्यपि, लाभभोगियों की पहचान पूर्णतः पूरी नहीं की गई थी, तथापि, मंत्रालय ने उन्हें खाद्यान्न का संशोधित आबंटन कर दिया था। चूंकि बहुत से राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने अपनी तैयारी की स्थिति सूचित नहीं की थी, अतः मंत्रालय ने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की समय-सीमा तीन बार बढ़ाई (अक्टूबर 2015)। एन.एफ.एस.ए. में ऐसा प्रावधान न होने के कारण संसद के अनुमोदन के बिना एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा का विस्तार अनियमित था। मंत्रालय नीति निर्धारण चरण के दौरान

2015 dh ifrosu 1 a 54

तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने के पश्चात् भी राज्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा। जिसके कारण कई राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों में कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

नमूना—जांच किए गए किसी भी राज्य में लाभभोगियों की पहचान क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुई थी। कुछ राज्यों ने अपने पुराने राशन कार्डों पर एन.एफ.एस.ए. अनुपालना के अनुरूप होने की केवल पुनः मोहर लगाई वह भी एन.एफ.एस.ए. में किए गए प्रावधान के अनुसार महिला सशक्तिकरण किए बिना अन्तर्वेशन तथा बहिर्वेशन के त्रुटियों को दूर करने के लिए लाभभोगियों की पहचान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसे प्राप्त किया जाना था। तथापि, जो राज्यों में प्रभावी रूप से अपनायी गयी थी, वह पुरानी प्रणाली थी, जिसे एन.एफ.एस.ए. अनुपालना के रूप में स्वयं को दिखाने के लिए फिर से संजोया गया था। परिणामतः राज्य सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के एन.एफ.एस.ए. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं को तैयार करने में असफल रहे। महिला सशक्तिकरण के वांछित औजार को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उपयोग करने का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशंसाएः

- i) राज्य सरकारों की सलाह के साथ मंत्रालय पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पहचान पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करें।
- ii) मंत्रालय को पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा लाभार्थियों को संशोधित बढ़े हुए हकों को स्वीकृत करने से पूर्व उनकी वास्तविक पहचान से स्वयं को आश्वस्त कर लेना चाहिए।
- iii) चूंकि एन.एफ.एस.ए. में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए रखी गई समय सीमा में वृद्धि के लिए कोई अधिकृत प्रावधान नहीं है, मंत्रालय को संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

vè; k 4

**j l n e ar\\$ kj h% [kk| kIk dk vkc\vu]
<ykbZ, oaHk Mkj . k**

4-1 [kk| kIk dk vkc\vu

एन.एफ.एस.ए. की धारा 22(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार, पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, टी पी डी एस के अंतर्गत राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा आबंटित करेगी।

खाद्यान्न के आबंटन हेतु, एक राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार को पैरा 1.5 में किए गए संदर्भ के अनुसार, मंत्रालय द्वारा विकसित प्रोफॉर्मा के माध्यम से एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वय हेतु अपनी तैयारी प्रमाणित करनी अपेक्षित थी।

राज्य सरकारों तथा सं.शा. क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा की जांच के पश्चात, मंत्रालय ने उन्हें गेहूं और चावल क्रमशः ₹ 2 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 3 प्रति किलोग्राम की दर पर आबंटित करना शुरू कर दिया। मंत्रालय ने सामान्य टी पी डी एस के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम कीमत पर शेष गैर कार्यान्वयन राज्यों को गेहूं और चावल आबंटित किया।

4-2 [kk| kIk dk <ykbZ

एन.एफ.एस.ए. की धारा 22(4) (ई) के अनुसार, केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य/सं.शा. क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा डिपों को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्न का परिवहन उपलब्ध कराएगी। टी पी डी एस तथा अन्य कल्याण योजनाओं (ओ डब्लू एस) के अंतर्गत खाद्यान्न का विवरण भारत सरकार द्वारा किए गए मासिक आबंटन तथा विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की खरीद के आधार पर किया जाता है। खाद्यान्न का स्टॉक भी खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डार सृजित करने के लिए उपयोग आवश्यकता को ध्यान में रखें बिना उपभोक्ता राज्यों को ले जाना होता है। रेल तथा सड़क द्वारा खाद्यान्न के अंतर्राज्यीय ढुलाई तथा 2011–12 से 2014–2015 की अवधि के दौरान ढुलाई की स्थिति निम्न प्रकार से थी।

rkfydk 4%, Q l h vkbZ} jy k jy rFk l Md } jy k [k| kIk dk <ykbZ

1ek=k yk[k ehV- e\2

fooj.k	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
समग्र ढुलाई	jy	303.23	321.33	369.35
	l Md	24.54	27.85	25.37
	t kM+	327.27	349.18	394.72
				408.44


स्रोत: एफ सी आई वेबसाईट

2015 dh ifrosu 1 a 54

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन पर, अधिप्राप्ति राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को ले जाने के लिए अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा काफी बढ़ जाएगी तथा स्थायी समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार रैकों की मांग भी लगभग 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान खाद्यान्न के परिवहन हेतु एफ.सी.आई. द्वारा रैकों की मांग और रेलवे द्वारा उसे उपलब्ध कराने से संबंधित सूचना चार्ट 5 में दी गई है।

प्रतिशत में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये रैकों की मांग और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराने की जरूरत



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

उपर्युक्त चार्ट यह दर्शाता है कि रेलवे द्वारा रैकों का प्रबंध करने में 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की कमी थी। इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने अक्टूबर, 2015 में कहा कि वास्तविक प्रेषण के प्रति नियोजित रैकों में अंतर मुख्यतः रेलवे द्वारा रैकों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा भारी यातायात के कारण तथा कई बार एफ.सी.आई. की परिचालनात्मक कठिनाईयों जैसे प्राप्तकर्ता डिपो पर खाली स्थान की अनुपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा कम लिफिंग तथा उपभोग क्षेत्रों में अधिप्राप्ति में वृद्धि आदि का कारण भी था।

मंत्रालय ने बताया कि राज्य में अनाज की आवाजाही के कारण टीडीपीएस/ओडब्ल्यूएस (दूसरी कल्याण योजनाओं) की पूर्ति के लिए अनाज की कमी नहीं है। वास्तव में रेक्स की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी।

4-2-1 रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये रैकों की मांग

मंत्रालय (अक्टूबर, 2012 में) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पर स्थायी समिति को सूचना प्रस्तुत करते समय सूचित किया था कि पूर्वीतर राज्यों में सड़क/मार्ग द्वारा आवाजाही संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्यान्न ढुलाई योजना तैयार की जा रही है, ऐक हैंडलिंग समय को कम करने के लिए एफ.सी.आई. गोदाम का मशीनीकरण करने, रेलवे द्वारा मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता वाले अच्छे शेडों, आदि रैकों की आपूर्ति, रेलवे द्वारा विलम्ब शुल्क लगाए जाने, अनलोडिंग रेलवे स्टेशनों की अवसंरचना को अद्यतन करने की तैयारी की जा

रही थी तथा इस उद्देश्य के लिए मैसर्ज प्राइसवाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अध्ययन सौंपा गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि मै. प्राइसवाटर हाउस कूपर प्रा.लि. की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। एफ सी आई द्वारा सप्लाई चैन मैनेजमेंट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अनाज की आवाजाही को उन्नत किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया कि अनाज की आवाजाही में बहुत बड़ी बाधा नहीं थी। क्यों कि विभिन्न राज्यों में टीडीपीएस/ ओ डब्ल्यू एस/ एन.एफ.एस.ए. में वितरण के लिए पर्याप्त/प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध है।

किन्तु मंत्रालय ने ना तो एफ सी आई द्वारा उपरोक्त विषयों को सुलझाते हुए उठाए गए विशेष कदमों को स्पष्ट किया और न ही एफ सी आई/मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार के साक्ष्य दर्शाए।

4-3 [k] klk dh Hk Mj.k {kerk

धारा 22(4)(ई) के अनुसार, केंद्र सरकार विभिन्न रथानों पर अपेक्षित आधुनिक एवं भण्डारण सुविधाओं का सृजन एवं अनुरक्षण करेंगी। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के कर्तव्य के अनुसार, एन.एफ.एस.ए. की धारा 24 (5) (क) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक भण्डारण क्षमताओं का अपेक्षित संख्या में सृजन एवं अनुरक्षण करेंगे जो टी पी डी एस के अंतर्गत अपेक्षित खाद्यान्न के समायोजन हेतु पर्याप्त हों। पात्र लाभभोगियों को खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य को पर्याप्त खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता होगी। तथापि, एन.एफ.एस.ए. ने न तो भण्डारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन हेतु कोई समय—सीमा नियत की थी और न ही मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए गए थे।

4-3-1 deh ey LVW l fgr , Q 1 h vlbZds l kfk Hm j.k ea deh

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010–2015 की अवधि के दौरान एफ सी आई तथा राज्य सरकार एजेंसियों (विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (डी.सी.पी.) राज्यों द्वारा अधिप्राप्त भंडार को छोड़कर) द्वारा रखा गया खाद्यान्न का बढ़ता हुआ रस्तॉक, एफ सी आई के साथ भंडारण अंतर, तालिका 5 के अनुसार था:

rlfydk 5 %, Q 1 h vlbZds l kfk Hm j.k {kerk ea varj

1ek-k yk[k ehV- e12


Ø- la	1 t w dk s deh; i y ea [k] klk dk LVW	Mh l h i h j kT; ka } lk [k] klk vfk i klr	, Q 1 h vlbZds i kl [k] klk dk fuoy LVW ½deh; i y LVW ?V/k Mh l h i h j kT; } lk vfk i klr LVW ½	31 ekpZdks, Q l h vlbZds i kl mi yek dgy Hm j.k {kerk ½i uh vlf fdjk, ij yh xbZ LVW ½	, Q 1 h vlbZds l kfk Hm j.k {kerk ea varj	Hm j.k {kerk ea i fr'kr deh
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)	7
2010	544.82	129.45	415.37	288.36	127.01	30.57
2011	581.94	155.59	426.35	316.10	110.25	25.85
2012	729.59	211.53	518.06	336.04	182.02	35.13
2013	676.59	197.79	478.80	377.35	101.45	21.18
2014	622.31	216.88	405.43	368.90	36.53	9.01
2015	568.34	236.84	331.50	356.63	-25.13	-7.58

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा

2015 dñ iñfroñu 1 a 54

जैसे कि उपर देखा जा सकता है एफ सी आई में वर्ष 2015 के अलावा वर्ष 2010–2014 के दौरान भंडारण क्षमता में 9 से 35 प्रतिशत के क्षेत्र में कमी आई थी जबकि केन्द्रीय पूल में अनाज के कमी और डी सी पी राज्यों द्वारा प्राप्ति में वृद्धिके कारण अनाज का स्टाक कम था।

pkVZ6 %, Q 1 h vlbZes Hmij . k {lerk eavrj



4-3-2 jkT; fof kV ekeys

क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से चयनित राज्यों में भंडारण क्षमताओं में कमियों का पता चला जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

असम: एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत राज्य के लिए 1.33 लाख मी.ट. खाद्यान्न के मासिक आबंटन को ध्यान में रखते हुए, राज्य को 3 महीने के लिए 3.99 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता रखनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के पास 2.84 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता थी जिसमें से 1.16 लाख मी.ट. खाद्यान्न के भंडारण हेतु उपयुक्त नहीं था। चुनिन्दा जिलों के एफ पी एस तथा गोदामों के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि 40 चयनित एफ पी एस में से सात ने लिविंग एवं बैड रूम्स में खाद्यान्न का भंडार किया था। कमरों की स्थिति नम पाई गई थी।

fcgkj %राज्य सरकार ने मंत्रालय के निदेशक (एन.एफ.एस.ए.) को सूचना भेजी (जनवरी 2014) कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न के भंडारण हेतु राज्य



fp= 3 %ver vyh , Q ih , l] fcyk kñi kññ nçjñ vl e ds cñM , oafyñox : e eaj [k x; k Hmij

में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त एवं वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन किया गया था। आबंटन के अनुसार मासिक अपेक्षित क्षमता 4.095 लाख मी.ट. थी जबकि 19.37 प्रतिशत की कमी छोड़ते हुए मार्च 2015 को उपलब्ध क्षमता केवल 3.302 लाख मी.ट. (80.63 प्रतिशत) थी।

fgekpy i n̄s k % टी पी डी एस तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 0.59 लाख मी.ट. खाद्यान्न के औसत मासिक आबंटन के प्रति, राज्य में कुल क्षमता केवल 0.54 लाख मी.ट. थी।

Ökj [k M % राज्य ने निर्णय लिया कि जिलों में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता, तीन महीने की मानक मांग के प्रति, खाद्यान्न की मासिक मांग से दुगुनी होनी चाहिए। यह देखा गया था कि राज्य की खाद्यान्न की भंडारण क्षमता 0.66 लाख मी.ट. थी जबकि दो महीने के लिए भंडारण की मांग 3.10 लाख मी.ट. थी। यह भी देखा गया था कि भंडारण मांग को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने 2010–11 से 2014–15 के दौरान 1.71 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता के सृजन का निर्णय लिया। नमूनागत चार जिलों¹³ में नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था की राज्य सरकार ने विभिन्न क्षमता के 71 गोदाम स्वीकृत किए। 53 निर्मित गोदामों में से, 0.03 लाख मी.ट. क्षमता वाले 7 गोदाम बिना किसी पहुँच सड़क के दूरस्थ स्थान अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति के कारण प्रयोग हेतु अनुपयुक्त पाए गए।



fp= 4 % pk ck l nj Cy^W ea [kjkc
ploy

fp= 5% idj Cy^W xkne ea xlyk
[kk] lk

egkj kV% 2011–15 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने 233 गोदामों का निर्माण अनुमोदित किया जिसकी भंडारण क्षमता 3.24 लाख मी.ट. थी। यह सूचित किया गया था कि निविदाकरण/अनुभाग प्रक्रिया 18 गोदामों में चल रही थी, 105 गोदामों में कार्य प्रगतिधीन थे जबकि केवल 93 गोदामों का निर्माण पूरा हुआ था (अक्तूबर 2015)।

¹³ गिरिडीह, गुमला, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम

2015 dh ifrosu 1 a 54

मृक्षिय इनशेल्स यह देखा गया था कि विद्यमान टी पी डी एस के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न हेतु भंडारण सुविधा, राज्य के 817 ब्लॉकों में से 406 ब्लॉकों में अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न को खुले क्षेत्र में रखना पड़ा। चूंकि, एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन पर राज्य के खाद्यान्न का आबंटन 46 प्रतिशत बढ़ा, जिससे पहले से ही कमी वाले ब्लॉकों में भंडारण सुविधा का दबाव बढ़ गया, तथा राज्य बढ़े हुए आबंटन को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था।

मंत्रालय ने बताया कि समग्र रूप से केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में भंडारण हेतु पर्याप्त क्षमता थी।

किन्तु मंत्रालय का तर्क था कि देश में 792.48 लाख मी. टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी जो कि सही नहीं थी वर्ष 2010–2014 के दौरान केन्द्रीय पूल स्टाक 9 से 35 प्रतिशत था जो कि एफ सी आई की कुल भंडारण क्षमता में गिरावट थी। जैसा कि मंत्रालय ने बताया कि देश में उपलब्ध भंडारण क्षमता की तैयारी का गलत आकलन करना सही नहीं था जब तक कि अतिरिक्त भंडारण की क्षमता एफ सी आई द्वारा प्रबंध और राज्य वार पहचान न हो।

मंत्रालय ने आगे बताया कि कुछ राज्यों में भंडारण क्षमता उपयुक्त परिस्थितियों की तुलना में आवश्यक तीन महीने की जरूरत से कम है। इन राज्यों में क्षमता वृद्धि की योजना लागू की जानी है।

उत्तर अनौपचारिक है क्योंकि लेखापरीक्षा में कई राज्यों में अपर्याप्त एवं अनुचित भंडारण पाए गए थे।

fudhak

राज्य मोटे तौर पर आबंटन के रसद के रखरखाव, खाद्यान्न की ढुलाई और भंडारण को संभालने के लिए तैयार नहीं थे जो कि एन.एफ.एस.ए. के सफल और दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक था। मंत्रालय ने खाद्यान्न की ढुलाई में अवरोधों को हटाने के संबंध में कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि वह राष्ट्रीय खाद्यान्न ढुलाई योजना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सकी और उसे अन्तिम रूप प्रदान नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों / सं.शा. क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, एफ सी आई के पास भंडारण क्षमता अपर्याप्त थी। नमूना जांच किए गए राज्यों में खाद्यान्न की तीन महीने की मांग को रखने के लिए भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं

पाई गई। राज्यों के पास विद्यमान भंडारण क्षमता की स्थिति में भी उन्नयनीकरण और सुधार की आवश्यकता थी।

इस प्रकार एन.एफ.एस.ए. की पश्च अधिसूचनाओं में पर्याप्त सुधार नहीं थे। वैज्ञानिक तथा आधुनिक सुविधाओं के सृजन हेतु एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। यह समस्या भविष्य में और भी बढ़ सकती है, क्योंकि डुलाई की मांग तेजी से बढ़ रही है।

अनुशंसाएं

- i) राष्ट्रीय खाद्यान्न मूवमेंट योजना को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा खाद्यान्न की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एन.एफ.एस.ए. के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- ii) मंत्रालय को खाद्यान्न की भंडारण क्षमता को बढ़ाने तथा विद्यमान भंडारण सुविधाओं को उन्नयन करने के लिए त्वरित कार्वाई करनी चाहिए।

vè; k 5

yf{kr ykd l forj.k izkkyh esal èkkj

5-1 i Lrkouk

एन.एफ.एस.ए. की धारा 12 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें, टी पी डी एस में आवश्यक सुधार का उत्तरोत्तर प्रयास करेंगी। पहचाने गए सुधार के क्षेत्रों में सभी स्तरों पर लेन-देन की पारदर्शी रिकार्डिंग सुनिश्चित करने तथा विपथन से बचने तथा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टी पी डी एस बिक्री केंद्रों पर द्वार तक खाद्यान्न की डिलीवरी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग शामिल था। जहाँ एन.एफ.एस.ए. में अन्य सुधारों जैसे विशिष्ट पहचान के लिए “आधार” का प्रयोग, एफ पी एस की लाइसेंसिंग में सार्वजनिक संस्थाओं/निकायों को प्राथमिकता आदि, का भी प्रावधान है वहीं मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में महत्वपूर्ण सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।

5-2 [k] kUk dh }kj rd fMyhjh

एन.एफ.एस.ए. की धारा 24(2) के अनुसार, राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि:-

- वह राज्य में केंद्र सरकार के निर्दिष्ट डिपो से, एन.एफ.एस.ए. की अनुसूची - I में विर्निदष्ट कीमतों पर खाद्यान्न की डिलीवरी लें;
- प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक आबंटित खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए अपनी प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से राज्यगत आबंटनों का आयोजन करें; तथा
- पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न की वास्तविक डिलीवरी अथवा आपूर्ति सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2015 की धारा 7(12) के अनुसार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को त्रैमासिक आधार पर द्वार तक डिलीवरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्रालय ने टी पी डी एस (सी) आदेश 2015 की अधिसूचना से पूर्व प्राप्त सूचना के आधार पर सूचित किया कि उसने केवल 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. से रिपोर्ट प्राप्त की थीं। साथ ही, सितम्बर 2015 से सूचना प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन प्रणाली आरंभ की गई थी।

5-2-1 jKT; fof' kV ekeys

चुनिंदा राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच में देखी गई तैयारी के स्तर का विवरण नीचे दिया गया है:

व्ही %राज्य में द्वार तक डिलीवरी कार्यान्वित नहीं की गई थी। ट्रांसपोर्टरों के लिए केवल बोली की प्रक्रिया ही पूरी की गई थी (अक्तूबर 2015)।

fcgkj %बिहार राज्य ने ई.पी.डी.एस के अंतर्गत एफ पी एस को खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी शुरू की। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भर कर गोदामों से उठाकर पहले से चुने गए ट्रांसपोर्टरों के जी पी एस—सक्षम वाहनों द्वारा एफ पी एस को आपूर्ति की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई पी डी एस के माध्यम से सृजित रिपोर्टों में विसंगतियां थीं। विभिन्न एफ पी एस को जारी किए गए खाद्यान्न की मात्रा के बारे में जिला प्रबंधकों¹⁴, बिहार राज्य खाद्य निगम (डी.एम, बी.एस.एफ.सी.) के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों में यह देखा गया था कि एक भंडार निर्गम आदेश (एस.आई.ओ.) के प्रति, खाद्यान्न की एक ही मात्रा दो बार जारी की जानी दर्शाई गई थी। आठ ब्लॉकों¹⁵ की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 37931.31 मी.ट. खाद्यान्न के एस.आई.ओ. के प्रति, यद्यपि, एफ पी एस को खाद्यान्न की वही मात्रा जारी की गई थी, डी एम, बी एस एफ सी की रिपोर्ट में, 75862.62 मी.ट. (दुगुनी मात्रा) का खाद्यान्न जारी किया जाना दर्शाया गया था। दूसरे मामले में संवीक्षा से पता चला कि आपूर्ति किया गया 756.092 मी.ट. खाद्यान्न, एफ पी एस दुकानों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। उत्तर में डी.एस.बी.एस.एफ.सी. कार्यालयों ने बताया कि एस आई ओ मात्रा एक वाहन से अधिक होने पर उसे एक से अधिक वाहनों द्वारा ही भेजा गया था परंतु सिस्टम इंटिग्रेटर की सॉफ्टवेयर समस्या के कारण, एक एस आई ओ के प्रति मात्रा की दोहरी प्रविष्टि दिखा दी गई थी। इस प्रकार, द्वार तक डिलीवरी मॉडल का समुचित रूप से अनुसरण नहीं हुआ था।

चिवाड़ा, मीनापुर, खरीक, साबौर तथा शेखपुरा ब्लॉकों में एफ पी एस के भौतिक सत्यापन से पता चला कि 481.59 मी.ट. खाद्यान्न की आपूर्ति वाले 88 मामलों में बिहार राज्य खाद्य निगम के अभिलेखों के अनुसार आपूर्ति की तिथि तथा एफ पी एस को आपूर्ति की वास्तविक तिथि के बीच अंतर था। निगम द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार यह खराब कनेक्टिविटी अथवा बैटरी की कम चार्जिंग के कारण बर्हिगामी खाद्यान्न की साथ—साथ प्रविष्टि करने में सिस्टम इंटिग्रेटर की असमर्थता के कारण था।

fnYyW संवीक्षा से पता चला कि खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी सभी 2300 एफ सी एस पर की जा रही थी। तथापि, वाहनों में लगे जी पी एस आधारित यंत्रों तथा भार सेंसरों की सहायता से खाद्यान्न की वास्तविक समय आवाजाही की मॉनीटरिंग के अभाव में, द्वार तक आपूर्ति की प्रभावकारिता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लग सका।

¹⁴भागलपुर, सारन, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा

¹⁵अमनौर, मीनापुर, मूसाहरी, मारहोवराई, नवगाँझिया, शेखपुरा, साबौर

2015 dh ifrosu 1 a 54

dulWd , oafgekpy i nzsk %यह देखा गया था कि एफ पी एस डीलर गोदामों से अपनी दुकानों पर खाद्यान्न का परिवहन कर रहे थे तथा डीलरों द्वारा किए गए व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही थी। तथापि एन.एफ.एस.ए. के अनुसार, चूंकि एफ पी एस को खाद्यान्न का परिवहन राज्य द्वारा किया जाना था, अतः स्वयं एफ पी एस मालिकों द्वारा परिवहन की प्रथा अनुचित थी।

mYkj i nzsk %महाराष्ट्र : केवल जनजातीय तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, सरकारी गोदामों से एफ पी एस को खाद्यान्न सरकारी स्वामित्व वाले / किराए पर लिए गए वाहनों के माध्यम से वितरित किए गए थे तथा शेष राज्य में, खाद्यान्न का एफ पी एस के मालिकों द्वारा गोदामों से स्वयं एफ पी एस को परिवहन किया गया था।

mYkj i nzsk %राज्य के 75 में से केवल 15 जिलों में ठेकेदार नियुक्त कर द्वारा द्वारा तक डिलीवरी कार्यान्वित की जा रही थी।


5-3 Vh i h Mh , l dk vkjHk l svr dH; Wjhdj.k

मंत्रालय ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'टी पी डी एस के आरंभ से अंत कम्प्यूटरीकरण' पर दिसम्बर, 2012 में एक योजनागत योजना शुरू की। योजना के दो संघटक थे; संघटक – I में राशन कार्डों / लाभभोगियों तथा अन्य डाटा बेस का डिजिटिकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना शामिल थे तथा संघटक – II में एफ पी एस ऑटोमेशन शामिल था जिसमें लाभभोगियों के प्रमाणीकरण हेतु एफ पी एस पर बिक्री बिन्दू (पी ओ एस) यंत्रों की स्थापना, एफ पी एस पर लाभभोगियों को बिक्री की रिकॉर्डिंग तथा सेंट्रल सर्वर में लेन–देन की अपलोडिंग शामिल थी।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2014 में निर्देश जारी किया कि एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन चाहने वाले राज्यों / सं.शा. क्षेत्र को संघटक – I का आरंभ से अंत तक कम्प्यूटरीकरण प्रमाणित करें। केंद्र सरकार ने ₹ 884.07 करोड़ का अनुमोदन किया जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 489.37 करोड़ तथा राज्यों / सं.शा. क्षेत्रों का हिस्सा ₹ 394.70 करोड़ था। लाभभोगियों तथा अन्य डाटा बेस के डिजिटिकरण के कार्यान्वयन तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा क्रमशः मार्च 2013 तथा अक्टूबर 2013 थी।

5-3-1 jkt; k@l a' kk {ks-ks} kjk fufek, kdk mi ; ks


मंत्रालय ने 2012–13 से 2015–16 वर्षों के दौरान 28 राज्यों / सं.शा. क्षेत्रों को ₹ 261.51 करोड़ की निधियां जारी की (जून, 2015)। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार राज्यों / सं.शा. क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:



5-3-2 jkt; k}jk ; kt uk dh ekheh i zfr

समापन की निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बीत जाने के बाद, अधिकतर राज्यों द्वारा अभी अपने पीड़ी एस परिचालन का कम्प्यूटरीकरण किया जाना था। चार्ट 7, पांच भिन्न क्रियाकलापों में सभी राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह

देखा जा सकता है कि केवल 72 प्रतिशत राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने राशन कार्ड डिजिटिकरण पूरा किया, 38 प्रतिशत राज्यों ने ऑनलाईन आबंटन, 22 प्रतिशत ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 72 प्रतिशत ने पारदर्शिता पोर्टल तथा 58 प्रतिशत राज्यों ने ऑनलाईन शिकायत प्रणाली पूरी की।



5-3-3 jkt; fof kV eleys

व्ही %राज्यों में नमूना जांच से पता चला कि भारत सरकार ने जनवरी—मई 2014 के दौरान पहली किश्त के रूप में ₹19.72 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने नौ महीने बीतने के बाद फरवरी 2015 में कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि जारी की। कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स की अधिखरीद अक्टूबर 2015 तक प्रक्रियाधीन थी। तथापि, मंत्रालय के अभिलेख के अनुसार केवल ₹ 4.00 करोड़ खर्च किए गए थे।

यह देखा गया था लक्षित 56.21 लाख राशनकार्डों के प्रति, मार्च 2015 तक विभाग 45.73 लाख (81.36 प्रतिशत) कार्ड डिजिटाईज कर सका। तीन नमूना जांच किए गए जिलों¹⁶ के डिजिटाईज अभिलेखों ने दर्शाया कि 1563 परिवारों का डॉटा राशन कार्ड संख्या के बिना ही अंकीकृत कर दिया गया था जो यह दर्शाता है कि डिजिटाइजेशन राशन कार्ड के आबंटन के बिना ही किया गया था। 1619 मामलों में, परिवारों के सदस्यों के गलत विवरण वाली दोहरी प्रविष्टियां रद्द किए बिना एक ही चयनित परिवार का राशन कार्ड पांच से दस बार अंकीकरण किया गया था।

ऑनलाईन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्यान्वयन भी अक्टूबर, 2015 तक अधूरा था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि पारदर्शिता पोर्टल विकसित कर लिया गया था, तथापि, अंकीकृत डॉटा पूर्णतः अपलोड नहीं किया गया था तथा शिकायत निवारण मॉड्यूल परिचालनात्मक नहीं किया गया था।

fcgkj %खाद्यान्न का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कम्प्यूटरीकरण कार्यान्वित कर दिया गया था। यह देखा गया था कि भंडार निर्गम आदेश (एस आई ओ), जिला/ब्लॉक/एफ पी एस—वार आबंटन की आनलाईन प्रविष्टि, एफ पी एस डीलर द्वारा धन जमा कराने तथा भुगतान के अंतिम मिलान के बाद ही सृजित किए गए थे। तथापि गोदाम स्तर पर कम्प्यूटर/लेपटॉप, इंटरनेट तथा बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण सभी गोदामों पर एस आई ओ की ऑनलाईन प्रविष्टि की जांच नहीं की जा सकी।

¹⁶ करीमगंज, बक्सा, सोनितपुर

जिससेआरंभ से अंत कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन की तैयारी के अभाव का पता चलता है।

fnYh % तीन चयनित दुकानों के खाद्यान्न के आबंटन की परिवार-बार संवीक्षा ने दर्शाया कि 170 परिवारों का डाटा पूर्णतः अंकीकृत नहीं किया गया था क्योंकि आबंटन शीट में लाभभोगियों के नाम, पते तथा संपर्क संख्याएं खाली पाई गई थीं। तथापि, दिल्ली सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत विश्लेषण हेतु अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

fgekpy iñsk % भारत सरकार ने राज्य सरकार को पहली किश्त के रूप में ₹ 4.24 करोड़ जारी किए (नवम्बर 2013)। राज्य सरकार ने भी अपने ₹ 7.07 करोड़ के हिस्से में से ₹ 4.01 करोड़ जारी किए (फरवरी 2014)। तथापि ₹ 8.25 करोड़ (राज्य के हिस्से सहित) की उपलब्ध कुल निधि में से, राज्य ने केवल ₹ 1.51 करोड़ खर्च किए तथा ₹ 6.74 करोड़ बचत बैंक खाते में अव्ययित पड़े हुए थे (मार्च 2015)। राज्य में राशन कार्डों/ लाभभोगियों का अंकीकरण नहीं किया गया था तथा मॉड्यूल्स के विकास में विलंब के कारण विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न के मूवमेंट तथा भंडारण सुविधा केंद्रों पर खाद्यान्न के स्टॉक की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के लिए साप्टवेयर तैयार नहीं किया गया था। निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने कहा (अप्रैल 2015) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) द्वारा दो मॉड्यूल अभी भी विकास की अवस्था में थे।

vPNh iFkk %NjHl X<+

पी डी एस आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण छत्तीसगढ़ में 2007–08 में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया था। प्रणाली राज्य में जनवरी 2008 से पूर्णतः चालू है तथा 10883 एफ पी एस में पी डी एस पदार्थों की स्टॉकिंग की निकटता से तथा प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।

Ökj [kM % राज्य में लाभभोगियों का अंकीकरण कर लिया बताया गया था। यह देखा गया था कि राज्य से जिलों को और फिर ब्लॉकों/एफ पी एस को दिसम्बर 2014 से आनलाईन आवंटन शुरू हो गया था।

vPNh iFkk %duWd

राज्य सरकार ने, भारत सरकार द्वारा योजना शुरू करने से पहले ही 2011–12 के दौरान राज्य स्तर से पी डी एस थोक बिक्री बिन्दुओं तक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया था। लाभभोगियों का अंकीकरण पूरा कर लिया गया है तथा पारदर्शिता पोर्टल भी विद्यमान था।

mYkj iñsk % मंत्रालय ने ₹ 28.33 करोड़ की पहली किश्त जून 2013 में जारी की। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की संस्थीकृति प्रदान की तथा ₹ 56.66 करोड़ का बजट जारी किया। तथापि, मार्च, 2015 तक केवल ₹ 29.07 करोड़ (51.31 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। नमूना जांच किए गए बुलंदशहर, गोरखपुर तथा झांसी जिलों में 2014–15 के दौरान क्रमशः ₹ 47.40 लाख, ₹ 43.15 लाख तथा ₹ 25.40 लाख मूल्य

2015 dhifrosu 1 a 54

के कम्प्यूटर खरीदे गए थे। तथापि, कार्यालय/ ब्लॉक गोदामों में कम्प्यूटर स्थापित ही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, भंडारण गृहों में मौजूद स्टॉक तथा एफ पी एस को डिलीवर किए गए खाद्यान्न सहित विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न की आवाजाही से संबंधित वास्तविक समय रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर स्थापित नहीं किया गया था। लखनऊ जिले में 2013–15 के दौरान कम्प्यूटर नहीं खरीदे गए थे। यह देखा गया था कि ए ए वाई के मामले में, ₹ 40.94 लाख के वर्तमान कार्डों की संख्या के प्रति ₹ 42.46 लाख कार्ड (103.70 प्रतिशत) अंकीकृत किए गए थे। टी पी डी एस परिचालन के कम्प्यूटरीकरण के अन्य क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने 2.71 करोड़ राशनकार्डों का अंकीकरण किया परंतु आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण केवल दो पाईलट जिलों¹⁷ में ही किया गया था। शिकायत निवारण हेतु पारदर्शिता पोर्टल तथा ऑनलाईन सुविधा विद्यमान पाई गई थी।

जवाब में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि उनके द्वारा किए प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न गतिविधियों में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

fudpkZ

राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में टी पी डी एस कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में था। कुछ चयनित राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में अपेक्षित कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा हार्डवेयर की अनुपलब्धता के मामले, सीमित करने वाले कारक बन गए थे। लाभभोगियों का अंकीकृत डॉटा राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी केवल पाईलट आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन की गई थी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, द्वार तक डिलीवरी स्वयं एफ पी एस डीलरों द्वारा ही की जा रही थी न कि राज्य सरकारों द्वारा। द्वार तक डिलीवरी की स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने मॉनीटरिंग की एक ऑनलाईन प्रणाली सितम्बर, 2015 में ही स्थापित की है।

अनुशंसा

मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के दक्ष कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों में टी पी डी एस क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण में अवरोधों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

¹⁷ सिंधुदुर्ग, एवं रायगढ़

vè; k 6

**f' kdk r fuokj.k ræ
, oaeMhVĜx**

6-1 iżrkouk

एन.एफ.एस.ए के अनुसार, शिकायतों के निवारण एवं मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित प्रणाली विकसित की गई है।

- i) एन.एफ.एस.ए की धारा 14 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगी जिसमें टोल फ्री कॉल सेंटर, राज्य वैब पॉर्टल हेल्प लाईन, नोडल अधिकारियों के पद नाम अथवा निर्धारित किए गए अन्य तंत्र शामिल होंगे।
- ii) एन.एफ.एस.ए की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र खाद्यान्त के वितरण से संबंधित मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र तथा प्रभावी निवारण हेतु प्रत्येक जिले के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डी.जी.आर.ओ.) के रूप में एक अधिकारी नियुक्त अथवा निर्दिष्ट करेगी तथा डी जी आर ओ के कार्यालय की योग्यता, शक्तियाँ तथा शर्तें निर्धारित करेगी।
- iii) एन.एफ.एस.ए. की धारा 16 के अनुसार, एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनीटरिंग के उद्देश्य से, प्रत्येक राज्य अधिसूचना के द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग (एस.एफ.सी.) का गठन करेगा। इसके अतिरिक्त, टी.पी.डी.एस (नियंत्रण) आदेश के खंड 11 के अंतर्गत उप-खंड 8 के अनुसार, डीजीआरओ के आदेश के विरुद्ध एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत गठित एसएफसी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जाएगी।

6-2 jk; okj flfkfr

नमूना राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित एन.एफ.एस.ए. प्रावधान लागू करने में राज्य तैयारी के भिन्न स्तरों पर थे, जैसा कि तालिका 6 में दर्शाया गया है:

2015 dh i frosu I a 54

rkfydk 6 % vkrfjd f'ldk r fuokj. k ft yk f'ldk r fuokj. k vfekdkj; k dh fu; fä rFkkjkt; [lk] vk lk dsxBu dhjkt; okj lLFkr

jkt;	vkrfjd f'ldk r fuokj. k	ft yk f'ldk r fuokj. k vfekdkj h	jkt; [lk] vk lk
vl e	राज्य सरकार ने टॉल फ्री नंबरों की लांचिंग के बारे में सूचित किया। तथापि, नंबर सक्रिय नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार शिकायत तथा एस एस एलट का ऑनलाईन पंजीकरण भी सक्रिय नहीं पाया गया था।	राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए, अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (विकास) को फरवरी 2014 में डी जी आर ओ के रूप में पदनामित किया। तथापि, डी जी आर ओ के कार्यालय की योग्यता, शक्ति तथा शर्तें एवं भत्ते, अधिसूचना में निर्धारित नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार ने असम राज्य महिला आयोग को एक अंतरिम उपाय के रूप में एस एफ सी के रूप में पदनामित किया (फरवरी 2014) तथा नियमित एस एफ सी जून 2015 तक गठित की जानी शेष थी।
fcgkj	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिया गया था। तथापि, प्राप्त की गई तथा निपटाई गई शिकायतों के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। एसएमएस सुविधा शुरू नहीं की गई थी। नोडल अधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित की गई थी परंतु कुछ भी कार्य नहीं हुआ था।	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ए डी एम) डी जी आर ओ के रूप में पदनामित किए गए थे (फरवरी 2014)। उसके सहायक स्टाफ के पद अप्रैल 2015 में सृजित किए गए थे।	राज्य सरकार ने जनवरी 2014 में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया। तथापि, वह कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि सहायक स्टाफ के पदों का सृजन अप्रैल 2015 में किया गया था।
NYkl x<+	शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान नहीं था। 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने 7170 शिकायतें प्राप्त की जिनमें से 1218 शिकायतें तीन महीने से पांच वर्ष तक लंबित थीं।	राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के कलेक्टर को डी जी आर ओ के रूप में पदनामित किया। तथापि, डी जी आर ओ के कामकाज संबंधी नियम एवं विनियम अधिसूचित नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने हेतु पदनामित किया। तथापि, राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी (जून 2015)

jkt;	vkrfjd f' kdk; r fuokj.k	ft yk f' kdk; r fuokj.k vfekljk h	jkt; [lk] vk lk
fnYyh	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वित कर दिए गए हैं।	दो नमूना जांच किए गए जिलों में से एक में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी जून 2015 तक नियुक्त नहीं किया गया था।	राज्य सरकार ने लोक शिकायत आयोग (पी जी सी) को एक अंतरिम उपाय के रूप में राज्य खाद्य आयोग के रूप में पदनामित किया (जुलाई 2013)। जून 2015 तक नियमित एस एफ सी का गठन अभी किया जाना था। तथापि, राज्य में राज्य खाद्य आयोग के कामकाज से संबंधित कोई कार्य किया गया नहीं पाया गया था।
fgekpy i ns k	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिए गए हैं।	राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक डी जी आर ओ नियुक्त किया था।	अक्टूबर 2015 तक राज्य में एस एफ सी का गठन नहीं किया गया था।
Ökj [kM]	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिया गया है। शिकायत दाखिल करने की सुविधा, शिकायतों की स्वतः वृद्धि के साथ पोर्टल में उपलब्ध है।	राज्य सरकार ने जिले के अतिरिक्त कलेक्टर को मई 2015 में जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया परंतु नमूना जिलों में शिकायत निवारण से संबंधित कोई कार्य जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर नहीं देखा गया था।	राज्य में जुलाई 2015 तक राज्य खाद्य आयोग का गठन नहीं किया गया था।
duWd	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिया गया है।	राज्य द्वारा डी जी आर ओ की नियुक्ति नहीं की गई है।	राज्य सरकार ने एक राज्य खाद्य आयोग (एस एफ सी) का गठन किया (मई 2014) तथापि, राज्य में राज्य खाद्य आयोग के कामकाज से संबंधित कोई कार्य किया जाना नहीं पाया गया।
महाराष्ट्र	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिया गया है।	महाराष्ट्र सरकार ने जिला कलेक्टर को संबंधित जिलों के डी जी आर ओ के रूप में नामित किया (जनवरी 2014)।	राज्य सरकार ने सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2014)।
mVkj i ns k	शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर क्रियान्वयित कर दिया गया है। तथापि अनसुलझी की शिकायतें निवारण हेतु उच्च अधिकारी को आगे नहीं बढ़ाई गई थी।	डी जी आर ओ की नियुक्ति अभी की जानी थी।	राज्य खाद्य आयोग का मई 2015 तक गठन नहीं किया गया था।

6-3 1 rdZk 1 fefr; ka

एन.एफ.एस.ए. की धारा 29(1) के अनुसार, टी पी डी एस का समुचित काम काज एवं पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली में पारदर्शिता, प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य, जिला, ब्लॉक तथा एफ पी एस स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करना था। इसके अतिरिक्त, इसका उल्लेख, टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश 2015 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत उपखंड (6) में भी किया गया है। राज्य सरकार को सतर्कता समितियों के कामकाज पर केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी थी। सतर्कता समितियों की स्थिति तालिका 7 में दी गई है।

rkfydk 7 %l rdZk 1 fefr dh jkt; okj fLFkr

jkt;	l rdZk 1 fefr dh fLFkr
vl e	राज्य सरकार ने अगस्त 2014 में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला / ब्लॉक तथा सर्किल स्तर पर सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का गठन किया है। तथापि, पाई गई अनियमिताओं तथा सतर्कता समितियों द्वारा की गई टिप्पणियों के विवरण नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
fcglj	अभिलेख दर्शाते थे कि राज्य स्तरीय सतर्कतासमिति गठित कर दी गई थी तथा मार्च 2015 तक केवल एक बैठक की गई थी। नमूना जांच किए गए जिलों में जिला स्तर वी सी का गठन केवल मुजफ्फरनगर जिला तथा दो ब्लॉकों में किया गया था, परंतु कोई बैठक नहीं की गई थी। नमूना जांच किए गए सभी ब्लॉकों में किसी पंचायत / वार्ड स्तर पर वी सी का गठन नहीं किया गया था।
NYkl x<+	यद्यपि वीसी के गठन का आदेश जारी कर दिया गया था, तथापि, वी सी की बैठकों के कार्यवृत्तों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
fnYyh	राज्य स्तर सतर्कता समिति का गठन नहीं किया गया था, एवं जिला स्तर पर गठित दो समितियां कार्यात्मक नहीं पाई गई थी।
fgelpy i nsk	राज्य स्तर पर तथा राज्य के सभी 12 जिलों में सतर्कता समितियां गठित कर दी गई थी। तथापि राज्य स्तर पर सितम्बर 2013 तथा मार्च 2015 के बीच वी सी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। तथापि, एन.एफ.एस.ए. के प्रतिमानों के अनुसार, 77 ब्लॉकों में उक्त समितियां जून 2015 तक गठित नहीं की गई थी।
Ökj [km	जिला स्तर सतर्कता समिति केवल गिरिडीह जिला में ही गठित की गई थी तथा 49 ब्लॉक स्तर सतर्कता समितियों में से केवल 18 का ही गठन किया गया था।

jKT;	l rdZk l fefr dh fLFkr
dulWd	30 जिलों में से 14 जिलों में गठन। तथापि, बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसलिए कार्यों का निवाह करने के लिए उनकी प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।
eglkj kV ^a	राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन कर दिया गया था परंतु 2013–15 के दौरान सतर्कता समितियों की केवल दो राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं।
mVkj i nz'k	किसी भी स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित नहीं की गई थीं।

यह देखा गया कि मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकार ने उक्त नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। यह भी देखा गया कि मंत्रालय ने ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के प्रारूप राज्यों को सितम्बर 2015 में जारी किए। मंत्रालय ने यह बताया कि टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता आयोग समितियों की कार्य प्रणाली पर सूचना अभी कई राज्यों/संघशासित प्रदेशों से प्रतीक्षित है।

6-4 jKT; k}kjkeMWGx

अनुबंध के पैराग्राफ 6 के साथ पढ़ित टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2001 के नियम 8 के अनुसार, राज्य सरकारें छः महीने में कम से कम एक बार उचित दर दुकानों का निरीक्षण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकारें उक्त आदेशों के साथ निरीक्षण कार्यक्रम, जांच बिन्दुओं की सूची तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकती है। राज्य वार स्थिति नीचे दी गई है:

rkydk 8 %jKT; k}keMWGx dh fLFkr

jKT;	fLFkr
fkgkj	अभिलेखों ने दर्शाया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्तियों के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार विभागों द्वारा भौतिक सत्यापन की आवृत्ति, टी पी डी एस नियंत्रण आदेश के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न होकर प्रासंगिक थी।
NVkj x<+	निर्धारित पद्धति के अनुसार, प्रणाली के द्वारा सृजित ट्रक चालान (टी सी) में एक पंचनामा, जो खाद्यान्न की सही मात्रा और गुणवत्ता की डिलीवरी एफ पी एस तक पहुंचने की रिपोर्टिंग का एक फार्मेट शामिल होता है। एफ पी एस की प्राप्ति की तिथि दर्ज कर पंचनामे पर सतर्कता समिति (वी सी) के सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाती है। तथापि यह देखा गया कि पंचनामे पर खाद्यान्न की प्राप्ति की तिथि तथा वी सी के सदस्यों के हस्ताक्षर कई मामलों में नहीं थे।

jkt;	fLFkr
Ökj [kM	समुचित मॉनीटरिंग हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण नियत किया गया था (फरवरी 2013)। नमूनागत जिलों में, जिला आपूर्ति अधिकारी (डी एस ओ) द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि कार्यालय में निरीक्षणों से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उत्तर में, डी एस ओ द्वारा बताया गया कि ब्लॉक आपूर्ति अधिकारियों/विपणन अधिकारियों की कमी के कारण अपेक्षित निरीक्षण नहीं किए गए थे।
egkj kV ^a	सरकार ने निर्देश दिया (अप्रैल 2001) कि आपूर्ति निरीक्षक से अतिरिक्त कलेक्टर तक जिला कर्मचारियों द्वारा छः महीने में एफ पी एस का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। नमूना जांच की गई आठ में से सात इकाईयों ¹⁸ में, एफ पी एस के निरीक्षण में कमी 2012–15 की अवधि के दौरान 2.39 प्रतिशत (मुम्बई क्षेत्र) तथा 73.09 प्रतिशत (डी एस ओ, पुणे) के बीच थी। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2005 के सरकारी आदेशों के अनुसार, आपूर्ति निरीक्षकों को एफ पी एस निरीक्षणों के साथ लाभभोगियों को बुलाकर अथवा उनके घरों में जाकर कम से कम 50 राशन कार्डों की जांच करनी थी। नमूना जांच की गई आठ में से किसी भी इकाई में निर्धारित न्यूनतम 50 राशन कार्डों की जांच नहीं की गई थी।

6-5 eaky; dh Hfedk

टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के नियम 11 के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा शिकायत निवारण तंत्र की मॉनीटरिंग की जानी थी जिसमें राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों से अपेक्षित था कि वे प्रत्येक तिमाही के अंत में कॉल सेंटरों, राज्य पोर्टल तथा डी जी आर ओ के स्तर पर निपटाई न गई/बकाया शिकायतों की संख्या सूचित करनी थी।

मंत्रालय के स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से यह देखा गया था कि किसी भी राज्य/सं.शा. क्षेत्र ने उपरोक्त नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। यह भी देखा गया कि मंत्रालय ने सितम्बर 2015 में ऑनलाईन प्रारूप शुरू किए जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने थे।

मंत्रालय ने बताया कि शिकायत निवारण हेतु से संबंधित सूचना 4 राज्यों/संघशासित प्रदेशों से प्राप्त हो गई है तथा शेष राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

fu" d" K

अधिकतर राज्यों में शिकायत निवारण प्रणाली गठित कर ली गई थी यद्यपि अंतिम स्तर तक नहीं। यद्यपि नौ चयनित राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में से छः में शिकायत निवारण तंत्र मौजूद पाया गया था, तथापि वे पूरी तरह चालू नहीं थे। सतर्कता समितियां केवल कुछ ही जिलों/ब्लॉकों में गठित की पाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, शिकायत

¹⁸ डी.एस.ओ., अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, ठाणे, पुणे, एफ डी ओ पुणे, एवं उप नियंत्रक राशनिंग एफ क्षेत्र, ठाणे

निवारण तंत्र तथा सतर्कता समितियों पर सूचना उपलब्ध न होने के कारण, मंत्रालय सभी राज्यों/संशा क्षेत्रों में उनका कार्यान्वयन मॉनीटर करने की स्थिति में नहीं था। राज्यों द्वारा की गई मॉनीटरिंग संतोषजनक नहीं पाई गई थी क्योंकि या तो वहां कोई निरीक्षण नहीं हुए थे या लक्ष्य से कम किये गये थे।

अनुशंसा

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र की स्थापना करनी चाहिए कि राज्यों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र तथा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के संबंध में एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। इसे मंत्रालय राज्यों/संशा.क्षे. से त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त कर टी पी डी एस (नि.) आदेश की अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

ubZnYyh
fnukd%23 fnl ej 2015

¹eqdsk iz kn Q g^{1/2}
egkfun's kd yq kki jhkk
dkk; ;

i frgLrkkj

ubZnYyh
fnukd%23 fnl ej 2015

^{1/4}k' k dkkr 'kekk
Hkj r dsfu; ad , oae gkyq kki jhkk

vugXud

vuqak&1-1
1/2 sk ua 1-4 ds l nHzel 1/2

VhMhi h, l - vks vU dY; k k ; kt ukvl ds vrxz vuqfur [kk] kUk vlo'; drk , oa[kk] vkekd l gk rk

ek w Vhi hMh, l - 1/2 U dY; k k ; kt ukvl fgr 1/2

	xgw	ploy	dy
खाद्यान्न आवश्यकता (लाख टटनों में)	262.7	301.0	563.7
अनुमानित आर्थिक सहायता (₹ करोड़ में)	39475.8	61476.9	100952.7

एन.एफ.एस.ए. के अनुसार, योजना आयोग द्वारा समावेश अनुपातों पर आधारित राज्य-वार कवरेज तथा अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कवरेज

[kk] kUk vlo'; drk 1/2 k Vuk e 1/2	xgw	ploy	dy
प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर पर कुल आवश्यकता	219.6	268.4	488.0
35 कि.ग्रा. प्रति परिवार की दर पर 2.50 करोड़ ए.ए.वाई. परिवारों के आवंटन को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त	13.5	16.5	30.0
राज्यों के औसत वार्षिक कुल खरीद की सुरक्षा के लिए आवंटन टाइड ओवर	14.1	17.2	31.3
ओ.डब्ल्यू.एस के लिए अनुमानित आवश्यकता	29.2	35.8	65.0
vuqfur vkekd l gk rk 1/2 djkm-e 1/2	276.4	337.9	614.3
vuqfur 1 fd Mh 1/2 djkm-e 1/2			
प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए	39752.4	62902.5	102654.9
ए.ए.वाई. परिवारों के आवंटन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त	2443.8	3867.0	6310.8
'टाइड ओवर' आवंटन के लिए अतिरिक्त	1972.2	3122.1	5094.3
अन्य कल्याण योजनाओं के लिए	5294.9	8378.4	13673.3
, u-, Q-, l -, - ds vrzxZ dy vuqfur vkekd l gk rk	49463.3	78270.0	127733.3

vuçak&2-1
14sk ua 2-2 ds l aHzes½

uewk p; u

Ø- l a	jkt;	ft yk	cykl dh l a; k	, Q-i h, l - dhl a; k
1	অসম	বকসা	10	40
		সোনীতপুর		
		নাগাংব		
		ধুবৰী		
		করীমগংজ		
2	বিহার	মুজ্জফরপুর	8	32
		সীতামঢ়ী		
		নালংদা		
		পটনা		
3	ছত্তীসগড়	বস্তর	10	40
		বিলাসপুর		
		দুর্গ		
		রায়পুর		
		সুরজপুর		
4	দিল্লী	উত্তর	4	16
		দক্ষিণ পশ্চিম		
5	হিমাচল প্রদেশ	কিন্নৌর	8	32
		মংঢ়ী		
		শিমলা		
		সোলান		
6	জারখ়ংড	গিরিডীহ	8	32
		গুমলা		
		পাকুর		
		পশ্চিম সিংহভূম		

Ø- l a	jkt;	ft yk	gykt dh l q; k	, Q-i h, l - dhl q; k
7	कर्नाटक	बैंगलोर शहर बेल्लेरी हवेरी मैसूर रामनगाना रायचुर	12	48
8	महाराष्ट्र	अमरावती औरंगाबाद मुम्बई नासिक नागपुर पुणे रायगढ़ थाने	16	64
9	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर गौरखपुर झांसी लखनऊ	8	32
		dy%42	84	336

VuPak&3-1
uSk ua 3-2 ds1 nHzes
vDVwj 2015 ckst ul d; k@yKKEM

क्र. सं	राज्य / सं.शा.क्षे	जनसंख्या (जनगण अन्ना 2011)	कवरेज प्रतिशतता			एन.एफ.एस.ए के अंतर्गत स्थीकृत व्यक्तियों की संख्या			एन.एफ.एस.ए के अंतर्गत परिवारों / व्यक्तियों की संख्या		
			ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल	परिवारों की संख्या	अंतर्योदया अन्ल योजना (अंक.यो.)	प्राथमिकता हत व्यक्ति (10+11)	कुल चिह्नित व्यक्तियों की संख्या
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1	बिहार	1038.05	85.12	74.53	783.74	87.42	871.16	25.01	116.55	740.57	857.12
2	छत्तीसगढ़	255.4	84.25	59.98	165.16	35.61	200.77	7.19	20.42	180.35	200.77
3	दिल्ली	167.53	37.69	43.59	1.58	71.2	72.78	0.78	2.92	69.72	72.64
4	हरियाणा	253.53	54.61	41.05	90.28	36.21	126.49	2.68	11.35	115.14	126.49
5	हिमाचल प्रदेश	68.57	56.23	30.99	34.68	2.14	36.82	1.97	9.57	17.21	26.78
6	कर्नाटक	611.31	76.04	49.36	285.55	116.38	401.93	10.97	43.91	358.02	401.93
7	मध्य प्रदेश	752.98	80.1	62.61	420.83	125.59	546.42	15.82	59.78	449.74	509.52
8	महाराष्ट्र	1123.73	76.32	45.34	469.72	230.45	700.17	25.05	108.01	592.16	700.17
9	पंजाब	277.04	54.79	44.83	94.88	46.57	141.45	1.79	7.71	133.74	141.45
10	राजस्थान	686.21	69.09	53	356.09	90.53	446.62	9.32	37	409.62	446.62
11	त्रिपुरा	36.71	74.75	49.54	20.26	4.76	25.02	1.08	4.81	17.26	22.07
12	परिचम बंगाल	913.48	74.47	47.55	463.31	138.53	601.84	3.93	11.44	147.33	158.77
13	लक्ष्मीपुर	0.64	35.30	33.56	0.05	0.17	0.22	0.01	0.04	0.18	0.22
14	उत्तराखण्ड	101.17	65.26	52.05	45.85	16.09	61.94	1.84	7.92	54.02	61.94
15	झारखण्ड	329.66	86.48	60.20	216.52	47.73	264.25	9.18	37.38	196.03	233.41
16	तेलंगाना	352.89	60.96	41.14	143.08	48.62	191.70	5.67	15.29	176.33	191.62
17	चण्डीगढ़	10.55	38.54	47.26	0.11	4.85	4.96	0.00056	0.003	1.78	1.78
18	पुडुचेरी	12.44	59.68	46.94	2.35	3.99	6.34	0.18	0.52	3.65	4.17
	dy	6991.89	-	-	3594.04	1106.84	4700.88	122.47056	494.623	3662.85	4157.47
											-

'Kinkoyh

ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.बी.एस.	अन्न भाग्य योजना
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.डब्ल्यू.सी.	आंगनवाड़ी केन्द्र
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
बी.एस.एफ.सी.	बिहार राज्य खाद्य निगम
सी.जी.एफ.एस.ए.	छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012
डी.डी.पी.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम
डी.जी.आर.ओ.	जिला शिकायत निवारण अधिकारी
डी.एच.ए.	नामित पहाड़ी क्षेत्र
डी.पी.ए.पी.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी.एस.ओ.	जिला आपूर्ति अधिकारी
ई.पी.आई.सी.	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.पी.एस.	उचित मूल्य दुकान
आई.सी.डी.एस.	बाल विकास सेवाएं
आई.जी.एम.एस.वाई.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
आई.टी.डी.पी.	समेकित जनजातीय विकास परियोजना
एम.डी.एम.	मध्यांतर आहार
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय नमूना पर्यवेक्षण संगठन
ओ.डब्ल्यू.एस.	अन्य कल्याण योजना
पी.डी.एस.	लोक संवितरण प्रणाली
पी.जी.सी.	जन शिकायत आयोग
आर.पी.डी.एस.	पुर्णोत्थान लोक संवितरण प्रणाली
एस.ई.सी.सी.	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
एस.एफ.सी.	राज्य खाद्य आयोग
एस.आई.ओ.	जमा जारी आदेश
टी.पी.डी.एस.	लक्षित लोक संवितरण प्रणाली
टी.पी.डी.एस. (सी) आदेश	लक्षित लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश
सं.शा.क्षे.	संघ शासित क्षेत्र